भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2014-15

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के
संदर्भ में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति
एवं प्रगति रिपोर्ट 2014-15

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2014-15

भारतीय रिज़र्व बैंक

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में **http://www.rbi.org.in** पर उपलब्ध है।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी, गिरगांव मार्ग, मुरलीधर मंदिर कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट-ऑफिस के पास, मुंबई 400 002 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण - पत्र

वि.स्थि.इ.104/01.04.003/2015-16

23 दिसंबर, 2015
02 पौष, 1937(शक)

श्री रतन पी. वातल
वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय श्री वातल,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2014-15 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

सादर,

भवदीय,

रघुराम जी राजन

(रघुराम जी. राजन)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची		**i**
अध्याय 1	**: परिदृश्य और नीतिगत परिवेश**	**1-5**
	परिचय	1
	बैंकिंग क्षेत्र को तनावमुक्त करना	2
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुधार करना	2
	मौद्रिक नीति अंतरण में सुधार करना	2
	बैंकों के चलनिधि मानकों को सुदृढ़ बनाना	3
	बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज़ बढ़ने की निगरानी	3
	'टू बिग टु फेल' की समस्या से निपटना	3
	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों के साथ अनुरूपता	4
	बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विनियामक मध्यस्थता को कम करना	4
	शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग और विस्तार के कार्य को पुन: शुरु करना	4
	बैंकिंग क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाना	5
अध्याय 2	**: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन एवं कार्य-निष्पादन**	**6-13**
	समेकित परिचालन	6
	कासा जमाराशियां	6
	ऋण-जमा अनुपात	6
	देयताओं और आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल	7
	तुलन-पत्रेतर परिचालन	7
	एससीबी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	7
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	8
	खुदरा ऋण	9
	संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण	9
	एससीबी के स्वामित्व का स्वरुप	9
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	10
	स्थानीय क्षेत्र बैंक	10
	ग्राहक सेवा	11
	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास	11
	स्वचालित टेलर मशीन की संख्या में वृद्धि	11
	जनसंख्या समूह-वार एटीएम का वितरण	12
	ऑफ-साइट एटीएम	12
	व्हाइट लेबल एटीएम	12
	डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड	12
	प्रीपेड भुगतान लिखत	12
	वित्तीय समावेशन के प्रयास	13

		पृष्ठ सं.
अध्याय 3	**: सहकारी बैंकों की गतिविधियां**	**14-21**
	शहरी सहकारी बैंक	14
	यूसीबी का कार्य-निष्पादन	14
	परिसंपत्ति गुणवत्ता	15
	शहरी सहकारी बैंकों संबंधी गतिविधियां	15
	अनुसूचित यूसीबी	17
	यूसीबी का प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम	18
	ग्रमीण सहकारी बैंक	18
	अल्पावधि ग्रामीण ऋण - एसटीसीबी और डीसीसीबी	19
	प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस)	20
	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण-एससीएआरडीबी	21
	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण-पीसीएआरडीबी	21
अध्याय 4	**: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं**	**22-28**
	परिचय	22
	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई)	22
	वित्तीय कार्य-निष्पादन	22
	एआईएफआई के तुलन पत्र	22
	वित्तीय संकेतक	23
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	24
	जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी)	24
	वित्तीय संकेतक	25
	एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता	25
	जमाराशि न लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)	25
	वित्तीय कार्य-निष्पादन	25
	वित्तीय संकेतक	26
	प्राथमिक विक्रेता	27
	एकल (नेटवर्क रहित) प्राथमिक विक्रेताओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन	27
	संपूर्ण मूल्यांकन	27

पृष्ठ सं.

चार्ट की सूची

2.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों, ऋणों और जमाराशियों की वृद्धि में उतार-चढ़ाव	6
2.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कासा जमाराशियों में वृद्धि	6
2.3	बैंक-समूह वार बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति-31 मार्च की स्थिति	6
2.4	आस्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल की प्रवृत्ति	7
2.5	एससीबी की चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल	7
2.6	एससीबी की तुलन-पत्रेतर देयताओं की संरचना एवं वृद्धि	7
2.7	आय और व्यय की चुनिंदा मदों में वृद्धि	8
2.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन	8
2.9	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कुल ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति	9
2.10	खुदरा ऋणों में वृद्धि	9
2.11	संवेदनशील क्षेत्रों को उधार का हिस्सा	9
2.12	बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों और लाभ में बैंक-समूह वार हिस्सा - 31 मार्च की स्थिति	10
2.13	आरआरबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन	10
2.14	एलएबी का आस्तियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन	11
2.15	मुख्य शिकायतों के प्रकार का बैंक-समूह वार अलग-अलग विवरणः 2014-15	11
2.16	एटीएम की वृद्धि और संरचना	11
2.17	एटीएम का भौगोलिक वितरण	12
2.18	ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा	12
2.19	डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करना	12
2.20	प्रीपेड लिखतों की प्रगति (मूल्य)	13
2.21	बैंकिंग आउटलेट और बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) खातों की प्रगति	13
3.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा - 31 मार्च 2015 की स्थिति	14
3.2	परिसंपत्तियों की कुल संख्या तथा संवृद्धि	14
3.3	यूसीबी की लाभ प्रदता के विशिष्ट संकेतक	15
3.4	यूसीबी की आय और व्यय - प्रतिशत में भिन्नता	15
3.5	यूसीबी के अनर्जक अग्रिम	15
3.6	परिसंपत्ति, अनर्जक परिसंपत्तियों में संवृद्धि तथा प्रावधान	15
3.7	जमाराशि आकार के आधार पर यूसीबी का वितरण - 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	16
3.8	अग्रिम आकार के आधार पर यूसीबी का वितरण - 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	16
3.9	वर्ग 'क' की रेटिंग में यूसीबी का शेयर - संख्या और कारोबार आकार	16
3.10	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात - प्रतिशत में घटबढ़	17
3.11	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी - कुल परिसंपत्तियों में शेयर - 31 मार्च की स्थिति	17

पृष्ठ सं.

3.12	यूसीबी का लाभप्रदत्ता संकेतक	17
3.13	यूसीबी द्वारा चयनित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण का प्रतिशतता वितरण	18
3.14	यूसीबी द्वारा कमजोर वर्गों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	18
3.15	राज्य सहकारी बैंक के चयनित तुलन-पत्र संकेतक	19
3.16	पीएसीएस से बकाया ऋण में संवृद्धि	20
3.17	पीएसीएस की सदस्यता में समूह-वार शेयर तथा समग्र उधारकर्ता सदस्य अनुपात	20
3.18	लाभ और हानि में पीएसीएस की प्रतिशतता -अखिल भारतीय	20
3.19	लाभ और हानि में पीएसीएस की प्रतिशतता - 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय स्तर	20
3.20	कुल देयताओं में घट-बढ़ की तुलना में घटक अंशदान की प्रतिशतता - पीसीएआरडीबी	21
3.21	कुल परिसंपत्तियों में घट-बढ़ की तुलना में घटक अंशदान की प्रतिशतता - पीसीएआरडीबी	21
4.1	एआईएफआई का जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - 31 मार्च की स्थिति	23
4.2	एआईएफआई का आस्तियों पर औसत प्रतिलाभ	23
4.3	एआईएफआई के निवल एनपीए/निवल ऋण - 31 मार्च की स्थिति	24
4.4	एनबीएफसी-डी के चुनिंदा वित्तीय मानक - 31 मार्च की स्थिति	25
4.5	एनबीएफसी-डी के सकल एनपीए और निवल एनपीए	25
4.6	बैंक और एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण में तुलनात्मक वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	26
4.7	एनबीएफसी-एनडी-एसआई के वित्तीय निष्पादन - 31 मार्च की स्थिति	26
4.8	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का एनपीए अनुपात - 31 मार्च की स्थिति	26
4.9	एकल (नेटवर्क रहित) पीडी के वित्तीय निष्पादन	27
4.10	एकल (नेटवर्क रहित) पीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्ति स्थिति - 31 मार्च की स्थिति	27

सारणियों की सूची

2.1	एससीबी के आरओए एवं आरओई - बैंक-समूहवार	8
3.1	ग्रामीण सहकारिताओं का प्रोफाइल (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार)	18
3.2	ग्रामीण सहकारी बैंकों (अल्पावधि) के स्वस्थ संकेतक	19
3.3	ग्रामीण सहकारी बैंकों (दीर्घावधि) के स्वस्थ संकेतक	21
4.1	एआईएफआई की देयताएं और आस्तियां (मार्च के अंत में)	22
4.2	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन	23
4.3	एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च की स्थिति	24
4.4	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च की स्थिति	25

एससीबी के तुलन पत्रों के साथ-साथ आय और व्यय के विस्तृत आंकड़े 'भारत में बैंकों से संबद्ध सांख्यिकीय सारणी 2014-15' (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एएफसी	आस्ति वित्त कंपनी
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीसी	बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स/ व्यवसाय प्रतिनिधि
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति
बीएसबीडीए	मूलभूत बचत बैंक जमा खाता
सीएएसए	चालू खाता और बचत खाता
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डी-एसआईबी	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्वदेशी बैंक
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था
एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात- आयात बैंक
एफबी	विदेशी बैंक
एफआई	वित्तीय संस्था
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम
जी-एसआईबी	प्रणालीगत रूप से वैश्विक महत्वपूर्ण बैंक
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
जेएलएफ	संयुक्त उधारदाता मंच
केपीआई	मूल कार्यनिष्पादन सूचकांक
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलसी	ऋण कंपनियां
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलआरई	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी	गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	जमाराशि लेनेवाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशि न लेनेवाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफसी-एमएफआई	गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्तीय संस्थान
एनबीएफसी-आईएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-बुनियादी वित्त कंपनी
एनबीएफआई	गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थान
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनपीए	अनर्जक अग्रिम
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीपीआई	पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरडब्ल्यूए	जोखिम भारित आस्ति
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एसआइडीबीआई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएमए	विशेष उल्लेख वाले खाते
एसएमएफ	लघु वित्त बैंक
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसएलसीसी	राज्य स्तरीय समन्वय समिति
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
टीएलएसी	हानि वहन सकल क्षमता
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक

अध्याय I
परिदृश्य और नीतिगत परिवेश

परिचय

1.1 वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उच्च स्तर पर बना रहा, साथ ही वैश्विक वृद्धि की स्थिति नाजुक और बहाली की गति भिन्न रही है। इस दौरान वैश्विक समष्टि-वित्तीय जोखिम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तित हो गए, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वृद्धि की कमजोर होती संभावनाओं, कम होते पण्य-वस्तु मूल्यों और डॉलर[1] की मजबूती के दबावों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, उभरते विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी समुत्थानशील रही है और ऐसा अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार, कम होती मुद्रास्फीति और गतिशील पूंजी प्रवाहों के कारण हुआ है, जिन्होंने बाह्य क्षेत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद की।

1.2 तथापि, वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन धीमा रहा। इसका पहला कारण यह था कि बैंकिंग क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में तुलनपत्रों में कमी दर्शाई और यह ऐसी प्रवृत्ति है जो वर्ष 2011-12 में शुरू हुई थी। सबसे अधिक मंदी बैंक ऋण में देखी गई जो इस वर्ष के दौरान एक अंक के आंकड़े में रह गई। दूसरा, जबकि बैंकिंग क्षेत्र के लाभ में पिछले वर्ष की पूर्ण गिरावट की तुलना में वृद्धि हुई, यह वृद्धि बैंकों की आय वृद्धि में हुई बढ़ोतरी की अपेक्षा परिचालन खर्चों में कमी के कारण हुई। तीसरा, लाभ वृद्धि दर में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी आस्तियों पर प्रतिफल (आरएओ), जो वित्तीय व्यवहार्यता का आम सूचकांक है, में वर्ष 2014-15 में कोई सुधार नहीं देखा गया। विशेषरूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता हाल के वर्षों में उनके आस्तियों पर प्रतिफल के काफी कम होने से घट गई। चौथा, सामान्य रूप से बैंकों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट इस वर्ष चिंताग्रस्त आस्तियों की मात्रा और अनुपात में बढ़ोतरी के साथ जारी रही।

1.3 बैंकिंग क्षेत्र के अन्य घटक, नामतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की लाभ वृद्धि में गिरावट देखी गई। तथापि स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) की लाभप्रदता में सुधार देखा गया।

1.4 भारतीय वित्तीय परिदृश्य के दूसरे प्रमुख वर्ग अर्थात शहरी और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के परिचालनों में भी उन समस्याओं से जूझना पड़ा, जो बहु विनियामक नियंत्रण और अभिशासन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। उचित विनियामक बदलाव शुरू करके इन समस्याओं का हल करने में प्रगति धीमी हुई है और यही स्थिति 2014-15 में भी जारी रही। इन उपायों ने कुल मिलाकर हाल के वर्षों में इन संस्थाओं के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने में सहायता की है। तथापि, यह सुधार धीमी गति से हुआ और यह सहकारी प्रणाली के कुछ सेगमेंट तक ही सीमित रहा। उदाहरण के रूप में, जहां, राज्य स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के वित्तीय स्थिरता सूचकांकों में सुधार हुआ है, वहीं, दीर्घावधि संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रही।

1.5 अंततः 2014-15 में अन्य मामलों में इस क्षेत्र को प्रतिबिंबित करते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), जो वित्तीय सेवाओं में अनेक विशिष्ट मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, के तुलन-पत्र और वित्तीय कार्यनिष्पादन कुछ मामलों में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से अलग थे। एनबीएफसी की ऋण वृद्धि बैंक की ऋण वृद्धि से अधिक रही और इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई। तथापि, वाणिज्य बैंकों की तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट आई।

1.6 कुल मिलाकर, वर्ष 2014-15 के लिए बैंकिंग क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के परिचालनों में अनेक कमजोर पहलू देखे गए हैं। तथापि, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी स्थिति के मामले में वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियों से तुलना करने पर पाया गया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 और इससे पहले के वर्षों में किए गए विनियामक उपायों से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कई अल्पावधि समस्यों का समाधान होने की संभावना है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में मध्यम से दीर्घावधि सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

[1] वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - अप्रैल 2015, आईएमएफ

1.7 इस वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख विनियामक उपाय तथा ऐसे उपाय, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने में सहायक होंगे, निम्नवत हैं:[2]

बैंकिंग क्षेत्र में दबाव कम करना

1.8 चूंकि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रमुख चिंता का क्षेत्र रहा है, वर्ष 2014-15 सहित हाल के वर्षों में बैंकों के तुलन-पत्रों में दबाव कम करने के लिए अनेक विनियामक उपाय किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए मूल ढांचा रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2014 में जारी किया गया था। इसके बाद अनेक विनियामक उपाय किए गए, जिनका उद्देश्य दबावग्रस्त आस्तियों के सुधार, पुर्नरचना और बहाली के लिए एक प्रणाली की शुरुआत करना था। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ दबावग्रस्त आस्तियों के लिए संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) द्वारा सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करना, लचीली पुनर्संरचना के भाग के रूप में दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए आवधिक वित्तपोषण और दीर्घावधि भुगतान समय-सारणी निर्धारित करना, बुनियादी सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के ऋण के मामले में उन्हें एनपीए करार दिए बिना कतिपय शर्तों के अधीन वाणिज्यिक परिचालनों के शुरू होने की तारीख में विस्तार करना, ऋण की कार्यनीतिक पुनर्रचना करना, जिसमें ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रावधान हो, इरादतन चूककर्ताओं और गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के बारे में दिशानिर्देश जारी करना शामिल था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सुधार करना

1.9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय बैंकिंग की पहुंच को भौगोलिक और क्षेत्रगत रूप से विस्तार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके अलावा, ये बैंक देश की बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने में मददगार रहे हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंक वर्तमान समय में लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता से संबंधित अनेक तात्कालिक और पूंजी स्थिति और अभिशासन संबंधी अनेक दीर्घकालिक मुद्दों से प्रभावित रहे हैं।

1.10 इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कतिपय सुधार उपाय शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, सरकार ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष (सात बिंदु कार्ययोजना) पैकेज के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित विनियामक सुधारों की घोषणा की। इसमें मई 2014 में भारत में बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने वाली समिति (अध्यक्षः डॉ. पी.जे. नायक) द्वारा की गई अनेक सिफारिशें शामिल थी।

1.11 इस पैकेज के तहत मुख्य सुधारों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया की पुनर्संरचना करना शामिल था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों का कार्यपालक प्रबंध निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप वर्गीकरण का कार्य दिसंबर 2014 में किया गया था। इन दोनों उपायों से बैंकों के बोर्डों के परिचालन में व्यावसायिकता आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी दक्षता में सुधार होगा।

1.12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यनिष्पादन और आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण को देखते हुए वर्ष 2019 तक ₹700 बिलियन पूंजी डालने के प्रस्ताव के साथ सात बिंदु योजना के भाग के रूप में पूनर्पूंजीकरण की एक नई योजना भी शुरू की गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कम होती पूंजी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह पूंजी सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे वे बासेल III फ्रेमवर्क को अपना सकेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रमुख कार्यनिष्पादन सूचकों (केपीआई) के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जवाबदेही फ्रेमवर्क की भी शुरूआत की गई है जो मात्रात्मक और गुणवत्ता सूचकों का उपयोग करते हुए इन बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन करेगा। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समग्र कार्यसंचालन में सुधार होगा और इससे वे अपने हितधारकों के प्रति अधिक जवाबदेह बन पाएंगे।

मौद्रिक नीति अंतरण में सुधार करना

1.13 वर्ष 2014-15 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को संशोधित और सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः डॉ. ऊर्जित आर. पटेल) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति निर्माण के लिए लचीली मुद्रास्फीति लक्षित दृष्टिकोण अपनाया, जिसका लक्ष्य मौद्रिक नीति को अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाना था। तथापि, ऋण बाजार में कुछ संरचनात्मक कठिनाइयों से मौद्रिक नीति के अंतरण में बाधा आती है। आधार दर प्रणाली से चिपके रहना अपने आप में प्रभावी अंतरण में एक रुकावट है। इसलिए, वर्ष 2014-15 में रिज़र्व बैंक ने अधिक बारंबार आधार पर अपनी आधार दर पद्धति में संशोधन करने के लिए बैंकों को अनुमति दी और उन्हें आधार दर की गणना के लिए निधियों की औसत लागत की बजाय निधियों की मार्जिनल लागत का उपयोग

[2] बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नीतिगत उपायों के विस्तृत घटनाक्रम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15 देखें।

करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त, बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे मार्जिनल लागत मूल्यनिर्धारण प्रणाली अपनाएं और फिर बाजार बेंचमार्कों का उपयोग करें।

बैंकों के चलनिधि मानकों को सुदृढ़ बनाना

1.14 जहां, भारतीय बैंक बासेल III फ्रेमवर्क में यथानिर्धारित पूंजी मानकों में अंतरित होने की प्रक्रिया में हैं, वहीं, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा सुझाए गए सुधार पैकेज को कार्यान्वित करने में चलनिधि मानकों का कार्यान्वयन दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। रिज़र्व बैंक के अंतिम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क के भाग के रूप में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया है। बैंकों के लिए इस अनुपात का अनुपालन आसान बनाया गया है क्योंकि उनका सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश का एक भाग उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों के रूप मे वर्गीकृत करने के लिए पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि निगरानी उपकरण और चलनिधि प्रकटन भी निर्धारित किए हैं जिससे बैंकों के चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा सके।

बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज़ बढ़ने की निगरानी

1.15 भारत बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को अपनाने में आगे रहा है और वास्तव में भारत ने बीसीबीएस द्वारा सिफारिश किए गए जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) से अधिक पूंजी अनुपात निर्धारित किया है। जनवरी 2015 में, भारत में 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज़ अनुपात के रूप में एक सरल, बैक-स्टॉप, गैर-जोखिम आधारित उपाय किया गया है जो बीसीबीएस द्वारा इसके लिए अंतिम मानदंड निर्धारित किए जाने तक समानांतर प्रक्रिया का एक भाग है। इस अनुपात से अपेक्षा है कि इससे बैंकों द्वारा अधिक जोखिम उठाने और तुलन-पत्र और तुलन-पत्रेतर लीवरेज़ के बढ़ने की निगरानी करने में जोखिम आधारित सीआरएआर की पूर्ति होगी।

टू-बिग-टु फेल की समस्या से निपटना

1.16 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने 9 नवंबर 2015 को बैंकों के लिए 'टू-बिग-टु फेल' से निपटने के लिए अपने सुधार एजेंडा के भाग के रूप में वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) के लिए कुल हानि सहन करने की क्षमता संबंधी अंतिम (टीएलएसी) मानदंड जारी किए हैं। यह मानक इस तरह तैयार किया गया है कि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) के पास व्यवस्थित समाधान प्रक्रिया लागू करने के लिए हानि सहन करने और पुनर्पूंजीकरण की पर्याप्त क्षमता हो जो वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को कम करे, महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता बनाए रखे और सरकारी निधियों को हानि से बचाए।

1.17 यह मानक सभी एफएसबी अधिकारक्षेत्रों में लागू किया जाएगा। वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) से अपेक्षा है कि वे बासेल III फ्रेमवर्क में निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के साथ टीएलएसी की अपेक्षा को पूरा करें। उनसे अपेक्षा है कि वे समाधान समूह की जोखिम भारित आस्तियों की टीएलएसी जरूरत का कम से कम 16 प्रतिशत को 1 जनवरी 2019 से और 18 प्रतिशत को 1 जनवरी 2022 से पूरा करें। 1 जनवरी 2019 से न्यूनतम टीएलएसी बासेल III लीवरेज़ अनुपात विभाजक (न्यूनतम टीएलएसी लीवरेज़ अनुपात एक्सपोज़र (एलआरई)) का कम से कम 6 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 6.75 प्रतिशत होना चाहिए। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) में वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) के मुख्यालयों से अपेक्षा है कि वे जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यए) के 16 प्रतिशत और एलआरई न्यूनतम टीएलएसी अपेक्षा के 6 प्रतिशत को 1 जनवरी 2025 तक और जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यए) के 18 प्रतिशत और एलआरई न्यूनतम टीएलएसी अपेक्षा के 6.75 प्रतिशत को 1 जनवरी 2028 तक पूरा करें। यदि अगले पांच वर्षों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों या बकाया बांड उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के 55 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो अनुपालन अवधि को तेज किया जाएगा। टीएलएसी मानक के कार्यान्वयन की निगरानी एफएसबी द्वारा की जाएगी और तकनीकी कार्यान्वयन की समीक्षा वर्ष 2019 के अंत तक की जाएगी।

1.18 हालांकि भारत में 17 वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (जी-सिब) कार्यरत हैं किंतु इनमें से किसी का भी मुख्यालय भारत में नहीं है। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) की पहचान और इन संस्थाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रभार तैयार करना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रणालीगत स्थिरता को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जहां, एफएसबी द्वारा वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) का विनियामक प्रबंध फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, वहीं, रिज़र्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं। तदनुसार, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) की

सूची अगस्त 2015 में जारी की गई जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र बैंकों में से एक-एक बड़े बैंक को शामिल किया गया है। इस सूची को प्रत्येक वर्ष अगस्त में अद्यतन किया जाएगा और चिह्नित बैंकों को अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों के साथ अनुरूपता

1.19 बैंकिंग क्षेत्र के लिए चालू वैश्विक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक लेखांकन सुधार है जिससे कि बैंक अपने वित्तीय विवरणों को एक मानकीकृत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य स्वरूप में तैयार कर सकें। भारतीय लेखांकन मानकों के तहत वर्तमान लेखांकन फ्रेमवर्क का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अनुरूपता का मुद्दा वर्ष 2006 से विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए आईएफआरएस कार्यान्वित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक रूपरेखा प्रस्तावित की गई जिससे अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वर्ष 2018-19 से आईएफआरएस में अंतरित हो सकेंगी।

बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विनियामक मध्यस्थता को कम करना

1.20 एफएसबी द्वारा परिकल्पित सुधारों का एक प्रमुख घटक छाया बैंकिंग क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित है। भारतीय संदर्भ में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छाया बैंक माना गया है। तथापि, अन्य देशों में छाया बैंकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का भारत में अधिक अस्तित्व नहीं है क्योंकि इनको अच्छी तरह से विनियंत्रित किया गया है और ये कोई मिश्रित वित्तीय लेनदेन नहीं करते हैं।

1.21 वर्ष 2014-15 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करने वाले विनियमनों को और सुदृढ़ बनाया गया, जिससे कि इन संस्थाओं और बैंकों के बीच विनियामक मध्यस्थता को कम किया जा सके। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रावधानीकरण और आस्ति वर्गीकरण संबंधी नपे-तुले सुदृढ़ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य बैंकों की तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने बड़े ऋणों का प्रकटन करें और अपनी ऋण बहियों में दबाव के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए विशेष उल्लेख खातों (एसएसए) के रूप में आस्तियों की एक विशेष उप-श्रेणी सृजित करें। पूंजी आधार बढ़ाने और जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए और अधिक जमाराशि जुटाने के लिए क्रेडिट रेटिंग करवाने की विनियामक अपेक्षाओं के साथ हाल में किए गए उपायों से संपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बेहतर विनियामक आधार का निर्माण होगा।

शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग और विस्तार के कार्य को पुनः शुरू करना

1.22 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी शुरुआत से और इसके बाद 1966 में इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी सोसाइटियों पर यथा लागू) के दायरे में लाने के बाद से भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, इन बैंकों की तेज वृद्धि वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में बढ़ती चिंता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005 में इन संस्थाओं के स्वैच्छिक समेकन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि को बढ़ावा देना और कमजोर बैंकों को बिना किसी हानि के प्रणाली से बाहर निकालना था। परिणामस्वरूप, नए सिरे से शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने पर भी रोक लगा दी गई थी।

1.23 तथापि, इस क्षेत्र के समेकन के संबंध में काफी प्रगति हुई, फिर भी लाइसेंस प्रदान करने के मुद्दे पर हाल की दो समितियों यथा नए शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः श्री वाई.एच. मालेगाम) और शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्षः श्री आर. गांधी) द्वारा पुनर्विचार किया गया। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन, मौजूदा विधिक ढांचे और अलग-अलग शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नए शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग की समय-सीमा और शर्तों का सुझाव दिया है। समिति ने सुझाव दिया है कि ₹200 बिलियन या उससे अधिक के कारोबार वाले शहरी सहकारी बैंक वाणिज्य बैंक में परिवर्तित किए जाने के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे शहरी सहकारी बैंक थ्रेशोल्ड सीमा को ध्यान में रखे बिना लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वेच्छा से परिवर्तित हो सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हों और एसएफबी के लिए लाइसेंसिंग सुविधा खुली हो।

बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक समावेशी बनाना

1.24 रिज़र्व बैंक की वरीयता सूची में वित्तीय समावेशन शीर्ष पर है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 से अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजनाओं को आगे बढ़ाएं। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना

(पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के साथ भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के कार्य को उच्च वरीयता दी है।

1.25 रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 में किए गए कई उपायों से वित्तीय समावेशन के प्रति उसकी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि हुई है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं : वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए दो सार्वभौमिक बैंकों को उनकी कारोबार योजना के आधार पर चिह्नित कर अगस्त 2014 में लाइसेंस प्रदान करना, लघु भुगतानों/अर्थव्यवस्था में वित्त आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए भुगतान बैंकों के लिए 10 अलग-अलग लाइसेंस और और लघु वित्त बैंकों के लिए 11 लाइसेंस, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों को संशोधित करना जिसमें लघु और मार्जिनल किसानों तथा सूक्ष्म-उद्यमों और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों को अधिक सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन के लिए मध्यावधि (पांच वर्ष) मापन योग्य कार्य-योजना बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) का गठन किया है।

1.26 निष्कर्ष रूप में, भारत जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनना चाहती है, के लिए प्रतिस्पर्धी, सुदृढ़ और समावेशी बैंकिंग प्रणाली एक अनिवार्य शर्त है। इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2014-15 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी विभिन्न अग्रसक्रिय और दूरदर्शी नीतिगत उपाय किए गए। इन नीतियों से बैंक आस्ति गुणवत्ता और अल्पावधि लाभप्रदता से संबंधित चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और इससे उन्हें दीर्घावधि में वैश्विक बैंकों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हुए बैंकिंग सेवाओं की विविध और मुख्यतः अधूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

अध्याय II
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन एवं कार्य-निष्पादन

समेकित परिचालन[1]

2.1 बैंकों के तुलन-पत्रों में वर्ष 2011-12 से हो रही वृद्धि में कमी वर्ष 2014-15 में भी जारी रही। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की आस्तियों की वृद्धि में नरमी का मुख्य कारण 10 प्रतिशत से नीचे के ऋणों और अग्रिमों में उत्साहहीन वृद्धि है (चार्ट 2.1)। निवेश की वृद्धि में भी मामूली कमी आई है। ऋण वृद्धि में कमी औद्योगिक वृद्धि में गिरावट, कॉरपोरेट की आय में कमतर वृद्धि और बढ़ते अशोध्य ऋण तथा अभिशासन संबंधी मामलों की पृष्ठभूमि में बैंकों की जोखिम विमुखता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता के कारण, कॉरपोरेट ने अपनी वित्त-पोषण आवश्यकताओं के एक भाग की पूर्ति के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), कॉरपोरेट बांड और वाणिज्यिक पत्रों जैसे अन्य स्रोतों का भी सहारा लिया। देयता पक्ष में, जमा और उधार की वृद्धि में भी भारी गिरावट आई। बैंक-समूह वार, वर्ष 2014-15 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की ऋण वृद्धि में कमी पाई गई; हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) ने उच्चतर ऋण वृद्धि दर्ज की है।

कासा जमाराशियां

2.2 चालू खाता एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियों में बचत जमाओं में गिरावट के कारण मामूली वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप समग्र जमा वृद्धि में कमी पाई गई (चार्ट 2.2)। बैंक-समूह वार, पीएसबी की कासा जमाराशियों में गिरावट दर्ज की गई जबकि पीवीबी और एफबी ने वर्ष 2014-15 में उच्चतर वृद्धि दर्ज की।

ऋण - जमा अनुपात

2.3 एससीबी का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात पिछले वर्ष के समान लगभग 78 प्रतिशत रहा। बैंक-समूहों में, निजी क्षेत्र के बैंकों के सी-डी अनुपात में सीमांत रूप से सुधार आया जबकि अन्य घटकों में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 2.3)।

चार्ट 2.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों, ऋणों और जमाराशियों की वृद्धि में उतार-चढ़ाव

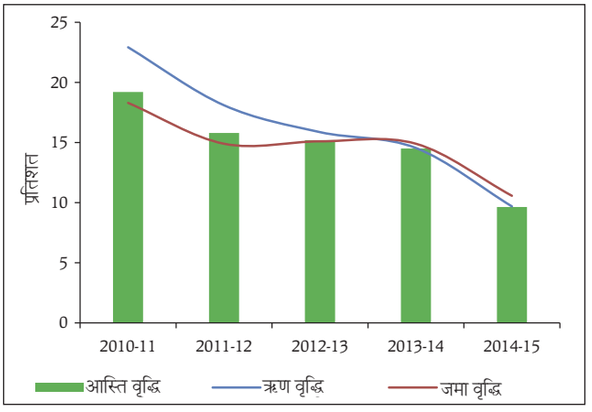

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

चार्ट 2.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कासा जमाराशियों में वृद्धि

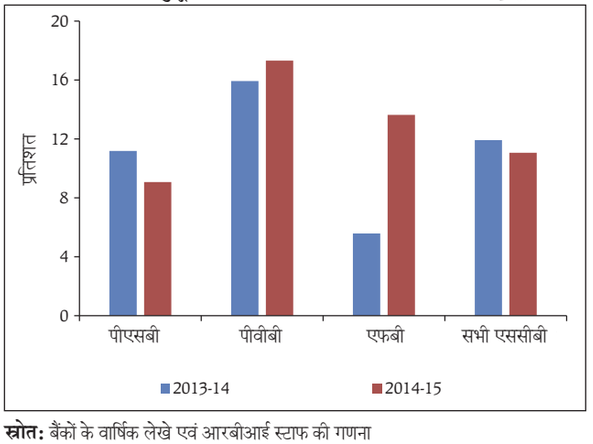

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

चार्ट 2.3 : बैंक-समूह वार बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति - 31 मार्च की स्थिति

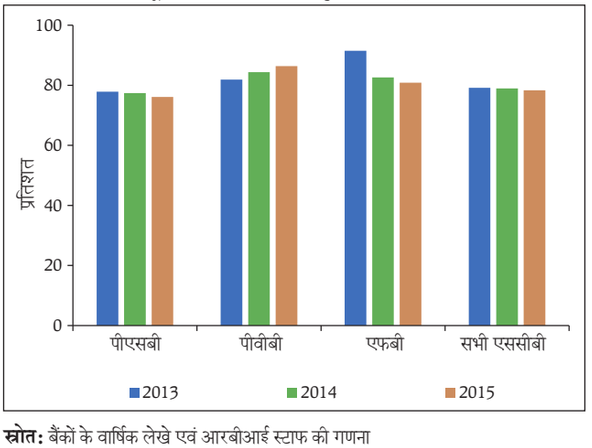

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

[1] विदेश के परिचालनों सहित।

देयताओं और आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल

2.4 वर्ष 2014-15 के दौरान एससीबी की देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल में सुधार देखा गया क्योंकि अल्पावधि देयताओं के अनुपात में गिरावट आई और दीर्घावधि देयताओं के अनुपात में वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में, दीर्घावधि आस्तियों का हिस्सा घटा और अल्पावधि आस्तियों का हिस्सा सीमांत रूप से बढ़ा (चार्ट 2.4)। इसे अनर्जक ऋणों के बढ़ते हिस्से की पृष्ठभूमि में बैंकों की जोखिम विमुखता के तौर पर देखा जा सकता है। दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों का अनुपात पिछले वर्ष के 28.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 27.3 प्रतिशत रहा।

2.5 तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान पीएसबी के निवेश का 52 प्रतिशत 5 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की श्रेणी में था जबकि इस श्रेणी में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का कुल निवेश क्रमशः 30.4 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत रहा।

तुलन-पत्रेतर परिचालन

2.6 बैंकों की तुलन-पत्रेतर देयताओं (अनुमानित) में, बैंकों के तुलन-पत्र परिचालनों की वृद्धि में कमी तथा पिछले वर्ष की उत्साहहीन वृद्धि के उपरांत थोड़ी समुत्थान-शक्ति देखी गई। ऐसा बकाया वायदा विनिमय संविदा से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं के कारण हुआ था, जिसका बैंकों के तुलन-पत्रेतर परिचालनों में सर्वाधिक हिस्सा था (चार्ट 2.6)। बैंक समूह-वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि विदेशी बैंकों का अन्य बैंक समूहों की तुलना में वायदा संविदाओं, गारंटियों और स्वीकृति/पृष्ठांकनों में अधिकाधिक एक्सपोज़र के कारण तुलन-पत्र देयताओं के प्रतिशत के रूप में तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र (अनुमानित) काफी अधिक रहा।

एससीबी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

2.7 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय दोनों में कम वृद्धि दर्ज की गई। ब्याज से होने वाली आय से धीमी ऋण वृद्धि के प्रभाव का पता चलता है। तथापि, ब्याज से आय में ब्याज पर व्यय की तुलना में थोड़ी अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। परिणामस्वरूप, परिचालन व्यय में सुधार होने के बावजूद ब्याज से निवल आय में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई (वेतन बिल की वृद्धि में कमी के माध्यम से)। दूसरी ओर, बकाया ऋणों के कारण प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि की गति में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इसके

चार्ट 2.4 : आस्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल की प्रवृत्ति

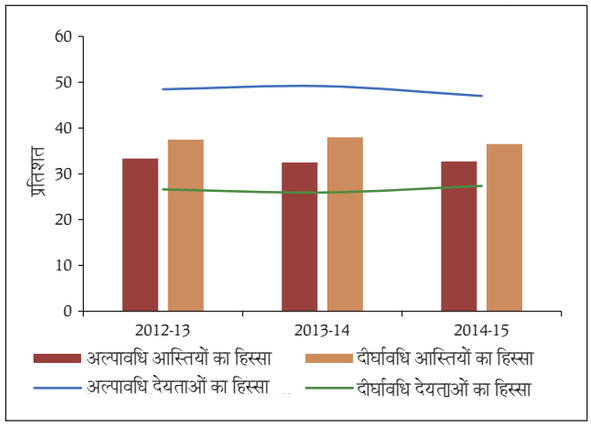

टिप्पणी: 1 वर्ष तक की परिपक्वता अल्पावधि कहलाती है, जबकि 3 वर्ष से अधिक परिपक्वता दीर्घावधि कहलाती है।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

चार्ट 2.5 : एससीबी की चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल

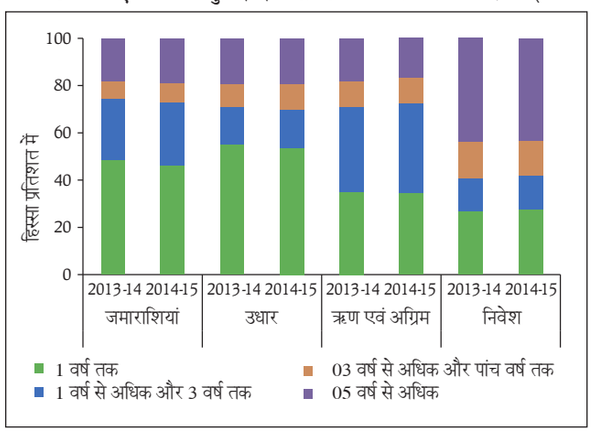

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

चार्ट 2.6: एससीबी की तुलन-पत्रेतर देयताओं की संरचना एवं वृद्धि

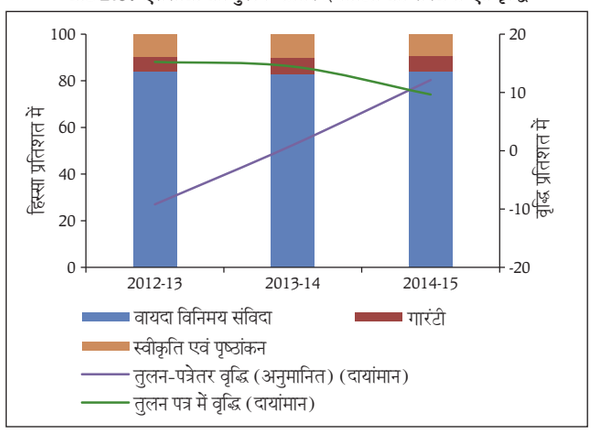

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष के दौरान निवल लाभ में आई गिरावट की तुलना में वर्ष 2014-15 में समग्र स्तर पर निवल लाभ में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 2.7)।

2.8 हाल के दिनों की प्रवृत्ति के अनुरूप, निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और स्प्रेड (निधि लागत और प्रतिलाभ के बीच अंतर) दोनों में मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट 2.8)।

2.9 वर्ष 2014-15 के दौरान, आरओए पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा, फिर भी, इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) सीमांत रूप से घटा (सारणी 2.1)। बैंक-समूह स्तर पर, पीएसबी का आरओए घटा जबकि पीवीबी और एफबी का बेहतर हुआ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

2.10 समग्र प्रवृत्ति के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण वृद्धि में भी वर्ष 2014-15 के दौरान गिरावट आई (चार्ट 2.9) और यह गिरावट सभी उप क्षेत्रों में देखी गई और इस प्रकार कृषि के ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष के 30.2 प्रतिशत से गिरकर 12.6 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान, पीएसबी, पीवीबी और एफबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण क्रमशः 38.2 प्रतिशत, 43.2 प्रतिशत और 32.2 प्रतिशत था (समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो)। इस प्रकार पीएसबी द्वारा प्रदत्त

चार्ट 2.7 : आय और व्यय की चुनिंदा मदों में वृद्धि

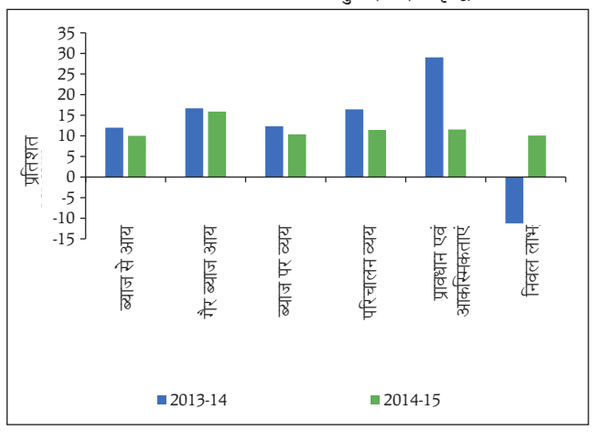

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं स्टाफ की गणना

चार्ट 2.8 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

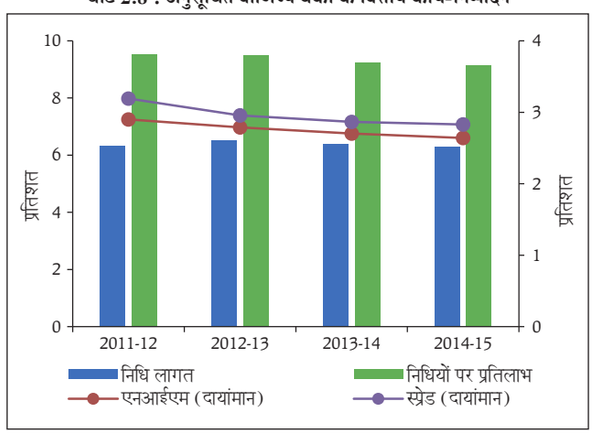

टिप्पणियां: निधि लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधार पर प्रदत्त ब्याज)/(चालू और गत वर्ष की जमाराशियों एवं उधार का औसत)।
निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों से अर्जित आय+ निवेश से अर्जित आय)/ (चालू और गत वर्ष के अग्रिमों एवं निवेश का औसत)।
निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय/ औसत कुल आस्तियां।
स्प्रेड = निधियों पर प्रतिलाभ और निधि लागत के बीच अंतर
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

सारणी 2.1 : एससीबी के आरओए एवं आरओई – बैंक-समूहवार

(प्रतिशत)

क्रम सं	बैंक समूह	आस्तियों पर प्रतिलाभ		इक्विटी पर प्रतिलाभ	
		2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1	सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.50	0.46	8.47	7.76
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	0.45	0.37	7.76	6.44
	1.2 स्टेट बैंक समूह	0.63	0.66	10.03	10.56
2	निजी क्षेत्र के बैंक	1.65	1.68	16.22	15.74
3	विदेशी बैंक	1.54	1.87	9.03	10.24
4	**सभी एससीबी**	**0.81**	**0.81**	**10.68**	**10.42**

टिप्पणियां: आस्तियों पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/औसत कुल आस्तियां।
इक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/ औसत कुल इक्विटी।
*राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल हैं।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे एवं आरबीआई स्टाफ की गणना

ऋण 40 प्रतिशत[2] के कुल लक्ष्य से कम रहा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत पीएसबी (16.5 प्रतिशत) और पीवीबी (14.8 प्रतिशत), दोनों, द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम 18 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहा।

खुदरा ऋण

2.11 बैंकों की कुल ऋण वृद्धि में कमी आने के बावजूद वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि जारी रही। आवास ऋण (कुल बकाया खुदरा ऋणों का लगभग आधा हिस्सा) और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। ऑटो-ऋणों में भी सुधार देखा गया।

संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

2.12 पूंजी बाजार, भू-संपदा बाजार एवं पण्य बाजार को संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों की अंतर्निहित आस्तियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का बैंकों की आस्ति गुणवता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वर्ष 2014-15 में, बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को प्रदत्त कुल ऋण और अग्रिम 18.5 प्रतिशत रहा। इन संवेदनशील क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक उधार भू-संपदा बाजार को प्रदान किया गया। फिर भी, समग्र प्रवृत्ति के समान, संवेदनशील क्षेत्रों की ऋण वृद्धि में भी भू-संपदा बाजार को दिए जाने वाले उधार की वृद्धि में कमी के कारण गिरावट दर्ज की गई।[3] तथापि, 2014-15 के दौरान पूंजी बाजार को दिए गए उधार में उच्चतर वृद्धि हुई। बैंक-समूह स्तर पर, दोनों क्षेत्रों में, एफबी का एक्सपोज़र सर्वाधिक था और उसके बाद निजी क्षेत्रों का (चार्ट 2.11)।

एससीबी के स्वामित्व का स्वरूप

2.13 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के हिस्से में क्रमिक गिरावट के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में पीएसबी का 72.1 प्रतिशत हिस्सा था, जो दर्शाता है कि देश में बैंकिंग क्षेत्र मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में ही रहा। तथापि, कुल आस्तियों में पर्याप्त हिस्सा होने के बावजूद, 2014-15 के दौरान कुल लाभ में पीएसबी का योगदान केवल

चार्ट 2.9 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कुल ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति

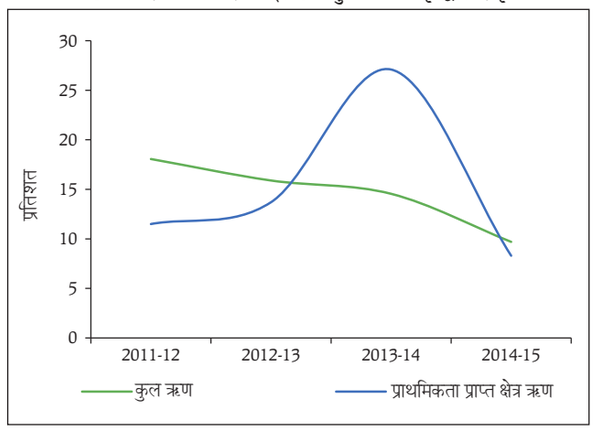

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी और आरबीआई स्टाफ की गणना

चार्ट 2.10 : खुदरा ऋणों में वृद्धि

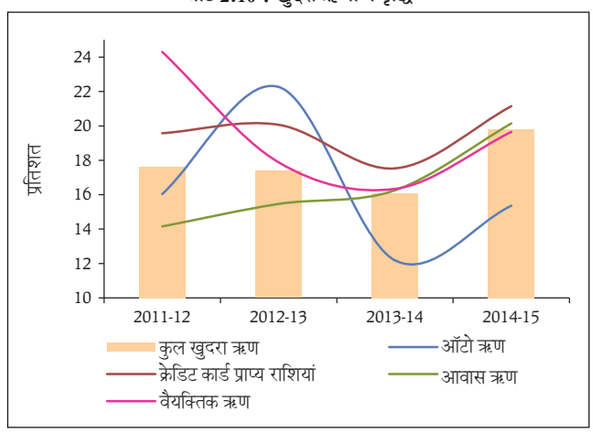

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.11 : संवेदनशील क्षेत्रों को उधार का हिस्सा

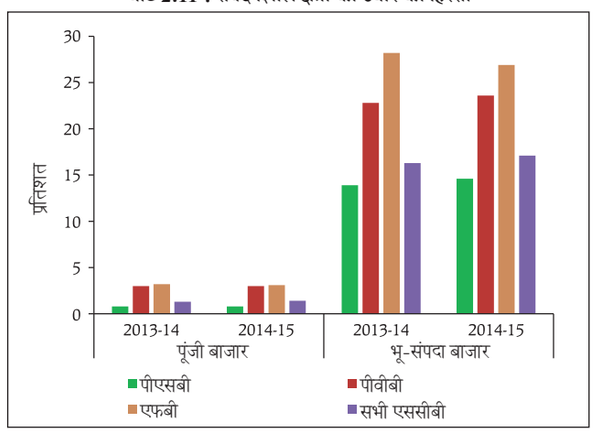

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे और आरबीआई स्टाफ की गणना

[2] विदेशी बैंकों के लिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य एएनबीसी अथवा तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र की समतुल्य ऋण राशि, जो कोई भी अधिक हो, का 32 प्रतिशत है।

[3] कृपया *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी, 2014-15* की सारणी 9 देखें।

42.1 प्रतिशत ही था एवं साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के कुल लाभ में पीवीबी का योगदान पीएसबी से बढ़ गया (चार्ट 2.12)।

2.14 पिछले कुछ वर्षों में कुछ बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी में आई गिरावट के बावजूद पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक रही। पीएसबी के मामले में अधिकतम विदेशी शेयरधारिता मार्च 2015 के अंत में लगभग 17 प्रतिशत थी (रिज़र्व बैंक के विनियमों के अंतर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है)। पीवीबी के मामले में अधिकतम अनिवासी शेयरधारिता 73.4 प्रतिशत थी (रिज़र्व बैंक के विनियमों के अंतर्गत अधिकतम 74 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है)।[4]

चार्ट 2.12: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों और लाभ में बैंक-समूह वार हिस्सा - 31 मार्च की स्थिति

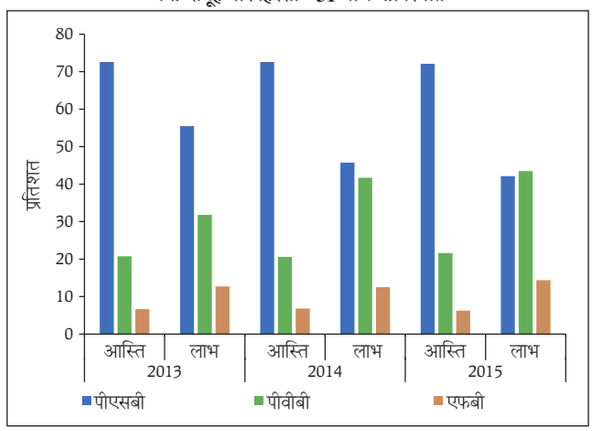

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

2.15 समामेलन के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान आरआरबी की संख्या 57 से घटकर 56 हो गई। एससीबी की प्रवृत्ति के अनुरूप, आरआरबी के ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि में भी पिछले वर्ष के 15.2 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 के दौरान 11.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निवेश में भी धीमी वृद्धि दर्ज की गई। देयताओं में, जमा की वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत पर एकसमान रही।

2.16 वर्ष 2014-15 के दौरान, आरआरबी की ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय, दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई जिसमें से ब्याज से आय की वृद्धि में अधिक गिरावट दर्ज की गई। इसके कारण निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सीमांत रूप से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, 2014-15 में आरआरबी की लाभ वृद्धि पिछले वर्ष के 18.5 प्रतिशत की तुलना में तेजी से घटकर 1.9 प्रतिशत रह गई। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान आरआरबी के आरओए में गिरावट आई (चार्ट 2.13)।

चार्ट 2.13 : आरआरबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन

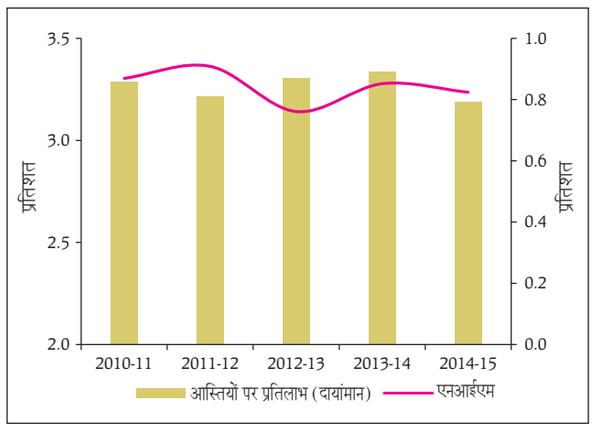

स्रोत: नाबार्ड

स्थानीय क्षेत्र बैंक

2.17 स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की स्थापना वर्ष 1996 में दो या तीन निकटवर्ती जिलों के अधिकार-क्षेत्र के साथ स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बचत को संग्रहित कर उसे स्थानीय क्षेत्र में निवेश

[4] *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी, 2014-15* की सारणी 15 देखें।

के लिए उपलब्ध करवाने हेतु निजी क्षेत्र के स्थानीय बैंकों के रूप में की गई थी। वर्तमान में, चार एलएबी परिचालन में है। इनमें से, मार्च 2015 की समाप्ति पर एलएबी की कुल आस्तियों में से 72.9 प्रतिशत कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के पास था।

2.18 वर्ष 2014-15 के दौरान एलएबी की आस्तियों में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ब्याज से निवल आय में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि आरओए में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 2.14)।

2.19 कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु रिज़र्व बैंक से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त होने पर कुल बैंकिंग आस्तियों में एलएबी के शेयर में और गिरावट आएगी।

ग्राहक सेवा

2.20 वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त शिकायतों में 70 प्रतिशत से अधिक पीएसबी से संबंधित थी और सभी प्रमुख श्रेणियों में, पीएसबी का शेयर 60 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड एवं उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन नहीं करने के संबंध में प्राप्त 25 प्रतिशत से अधिक शिकायतें पीवीबी से संबंधित थीं (चार्ट 2.15)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

एटीएम की संख्या में वृद्धि

2.21 बैंकों ने वर्ष 2015 में कुल 0.18 मिलियन एटीएम के साथ अपनी पहुंच को और बढ़ाया। तथापि, पीएसबी और पीवीबी, दोनों क्षेत्र के बैंकों की एटीएम वृद्धि में कमी आई। पीएसबी ने 2014-15 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसका कुल एटीएम में लगभग 70 प्रतिशत

चार्ट 2.14 : एलएबी का आस्तियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन

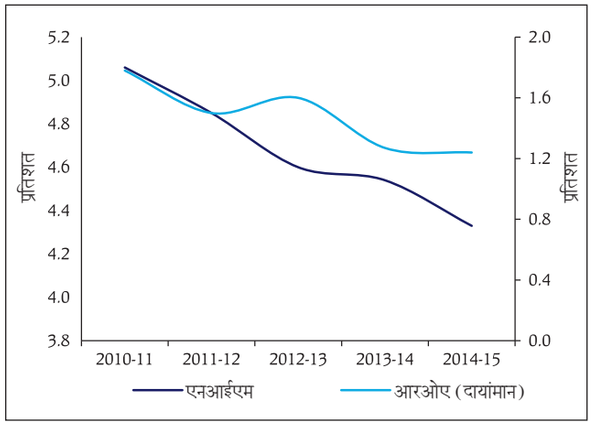

स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.15 : मुख्य शिकायतों के प्रकार का बैंक-समूह वार अलग-अलग विवरण: 2014-15

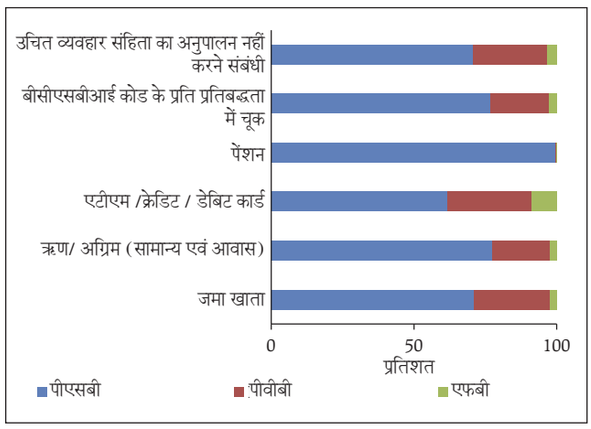

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 2.16: एटीएम की वृद्धि और संरचना

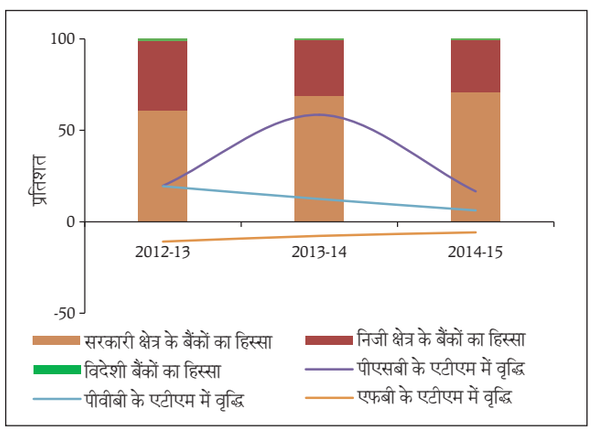

स्रोत: आरबीआई

हिस्सा रहा। एफबी के एटीएम में लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुई (चार्ट 2.16)।

जनसंख्या समूह-वार एटीएम का वितरण

2.22 हाल के वर्षों में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के एटीएम में लगातार वृद्धि हो रही है, यद्यपि शहरी और महानगरीय केंद्रों का प्रभुत्व जारी है। 2015 में, लगभग 44 प्रतिशत एटीएम ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों पर स्थित थे (चार्ट 2.17)।

ऑफ-साइट एटीएम

2.23 मार्च 2015 की समाप्ति पर कुल एटीएम में ऑफ-साइट एटीएम का शेयर पिछले वर्ष के 47.9 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 50.9 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऑफ साइट एटीएम के शेयर में हुई वृद्धि ने मुख्य भूमिका अदा की है जिसका शेयर वर्ष 2014 के 40.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 45.7 प्रतिशत हो गया। निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंकों का शेयर पहले ही 60 प्रतिशत से अधिक था (चार्ट 2.18)।

व्हाइट लेबल एटीएम

2.24 ऑफ-साइट एटीएम की दक्षता और लागत-प्रभावकारिता को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2012 में गैर-बैंक संस्थाओं को एटीएम लगाने और परिचालन करने की अनुमति प्रदान की थी जिन्हें 'व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए)' कहा जाता है। 31 अक्तूबर 2015 तक कुल 10,983 डब्ल्यूएलए स्थापित की गई थीं।

डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड

2.25 क्रेडिट कार्ड की तुलना में कही अधिक संख्या में डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं और वे अंतरण का मुख्य माध्यम बने हुए हैं। 2012 में प्रत्येक 100 डेबिट कार्ड की तुलना में 6.43 क्रेडिट कार्ड थे जो 2015 में घटकर 3.8 रह गए (चार्ट 2.19)। डेबिट कार्ड जारी करने में पीएसबी ने पीवीबी और एफबी पर बढ़त बना रखी है। 31 मार्च 2015 को लगभग 83 प्रतिशत डेबिट कार्ड पीएसबी द्वारा जारी किए गए थे, जबकि लगभग 80 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड पीवीबी (57.2 प्रतिशत) और एफबी (22.4 प्रतिशत) द्वारा जारी किए गए थे।

प्रीपेड भुगतान लिखत

2.26 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) ऐसे भुगतान लिखत हैं जो इस प्रकार के लिखतों में डाले गए मूल्य के बराबर निधि अंतरण सहित

चार्ट 2.17: एटीएम का भौगोलिक वितरण

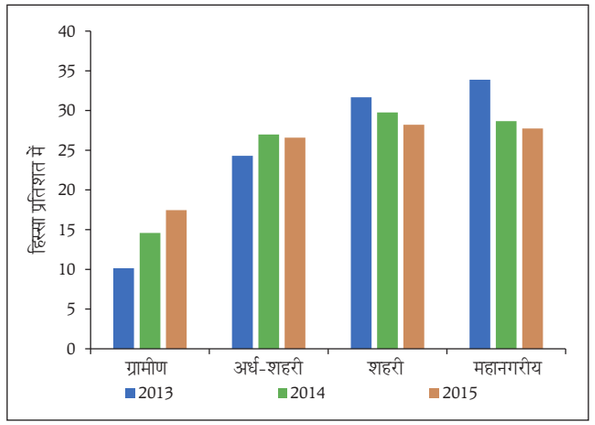

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 2.18 : ऑफ-साइट एटीएम का हिस्सा

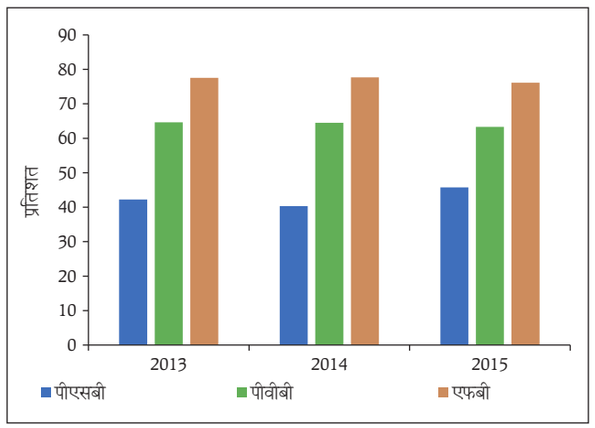

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 2.19 : डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करना

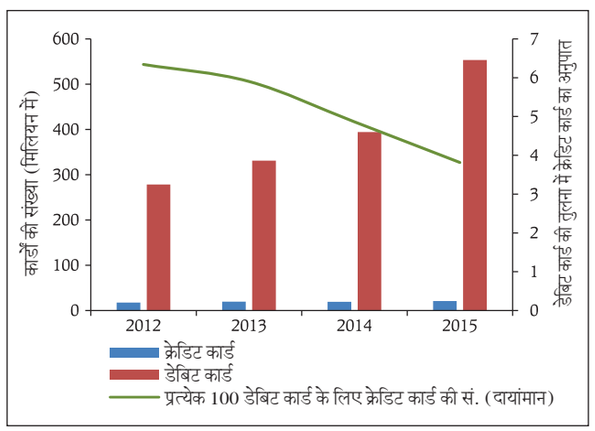

स्रोत: आरबीआई

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। इन लिखतों में डाला गया मूल्य, धारक द्वारा नकदी, बैंक खाते में डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए मूल्य को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, पीपीआई कम मूल्य के दैनंदिन भुगतान अंतरणों के लिए नकदी के एक आसान विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पीपीआई का मूल्य 2012-13 के 79.2 बिलियन रुपए से बढ़कर 2014-15 में 213.4 बिलियन रुपए हो गया है। पीपीआई लिखतों में, पीपीआई कार्ड सबसे अधिक लोकप्रिय रहा (चार्ट 2.20)। इस वृद्धि को, सबसे अधिक गैर बैंक पीपीआई ने गति प्रदान की है।

चार्ट 2.20 : प्रीपेड लिखतों की प्रगति (मूल्य)

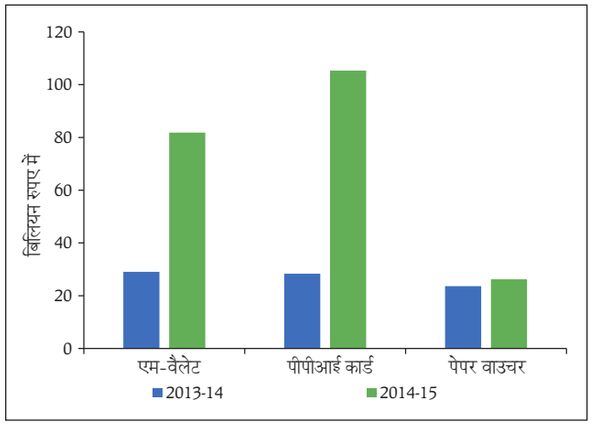

स्रोत: आरबीआई

वित्तीय समावेशन के प्रयास

2.27 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं। इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से मिले प्रोत्साहन से बैंकिंग की पहुंच में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथापि, काफी संख्या में बैंकिंग आउटलेट, कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ सुलभकर्ताओं के माध्यम से शाखारहित मोड में परिचालन करते हैं (चार्ट 2.21)। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी के प्रभुत्व को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को लगभग 91 प्रतिशत बैंकिंग आउटलेट शाखारहित मोड में परिचालन कर रहे थे।

चार्ट 2.21 : बैंकिंग आउटलेट और बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) की प्रगति

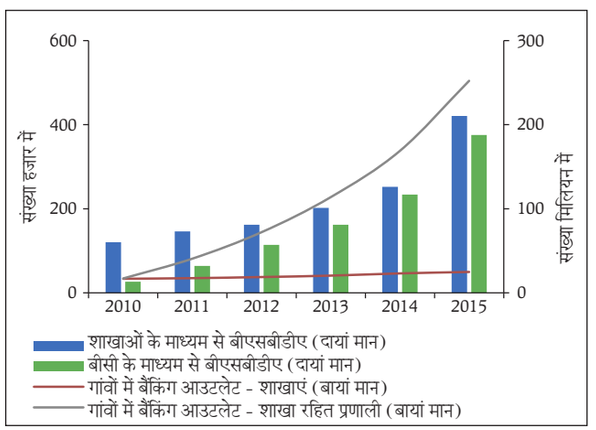

स्रोत: आरबीआई

2.28 09 दिसंबर 2015 तक, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 195.2 मिलियन खाते खोल जा चुके हैं और 166.7 मिलियन रूपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह योजना 28 अगस्त 2014 को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने, सभी परिवारों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंकिंग खाता खोलने तथा रूपे डेबिट कार्ड प्रदान करने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने, क्रेडिट गारंटी निधि, माइक्रो-बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इन उद्देश्यों के, चार वर्ष की अवधि के दौरान अगस्त 2018 तक दो चरणों में पूरे होने की संभावना है। बैंकों को ग्रामीण एटीएम के संबंध में रिज़र्व बैंक की सब्सिडी योजना का लाभ उठाने की भी अनुमति दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक और प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगुवाई में वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के उद्देश्य एक-दूसरे के समनुरूप हैं।

2.29 वित्तीय समावेशन के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने और देश में बीमा और पेंशन की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मई 2015 में कई सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरूआत की है। 16 दिसंबर 2015 को 92.6 मिलियन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन करवाया है और 29.2 मिलियन ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करवाया है। इसके अतिरिक्त, 1.3 मिलियन खाताधारकों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन करवाया है।

अध्याय III
सहकारी बैंकों की गतिविधियां

3.1 मार्च 2015 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण संस्थाओं सहित 1,579 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और 94,178 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्था समाविष्ट थे (चार्ट 3.1)। वर्ष 2014-15 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की परिसंपत्ति संवृद्धि में कमी तथा अपने निवल लाभ में वृद्धि दर्ज की गई । वर्ष 2013-14 के दौरान अल्पावधि राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी ग्रामीण सहकारी बैंकों के तुलन-पत्रों की संवृद्धि में या तो गिरावट रही या स्थिति उलट गई। राज्य स्तरीय अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारिताओं ने निवल लाभ में गिरावट दर्ज की।

चार्ट 3.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा - 31 मार्च 2015 की स्थिति

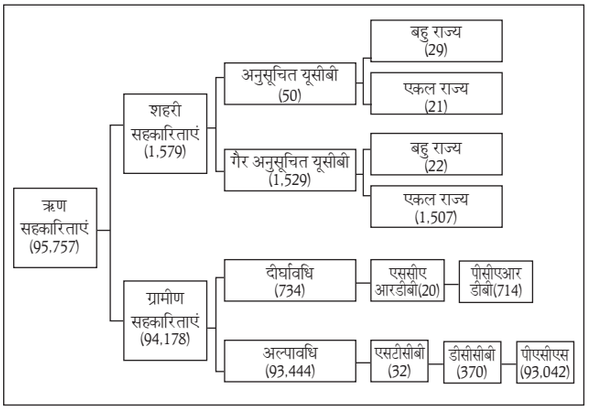

डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक के आंकड़े यूसीबी के लिए मार्च 2015 के अंत तक की स्थिति तथा ग्रामीण सहकारिताओं के लिए मार्च 2014 के अंत तक की स्थिति के अनुसार संस्थाओं की संख्या दर्शाता है।

2. ग्रामीण सहकारिताओं के लिए सहकारिताओं की संख्या का संदर्भ रिपोर्टिंग सहकारिताओं से है।

स्रोत: आरबीआई

शहरी सहकारी बैंक

3.2 यूसीबी का समेकन जारी रहा चूंकि यूसीबी की संख्या जो 2013 में 1,606 थी वह कम होकर 2015 में 1,579 रह गई (चार्ट 3.1)। रिज़र्व बैंक ने धन शोधन के आरोपों के कारण सितंबर 2014 में छह यूसीबी को बंद करने हेतु निदेश दिए थे।

यूसीबी का कार्य-निष्पादन

3.3 यूसीबी की परिसंपत्तियों की संवृद्धि ने पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान कमी महसूस की (चार्ट 3.2)। परिसंपत्तियों की संवृद्धि में गिरावट के कारण यूसीबी की 'अन्य परिसंपत्तियां' में कम संवृद्धि हुई। ऋण और अग्रिम में लगभग 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई जिसका 2014-15 में परिसंपत्तियों में कुल बढ़ोत्तरी में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

चार्ट 3.2: परिसंपत्तियों की कुल संख्या तथा संवृद्धि

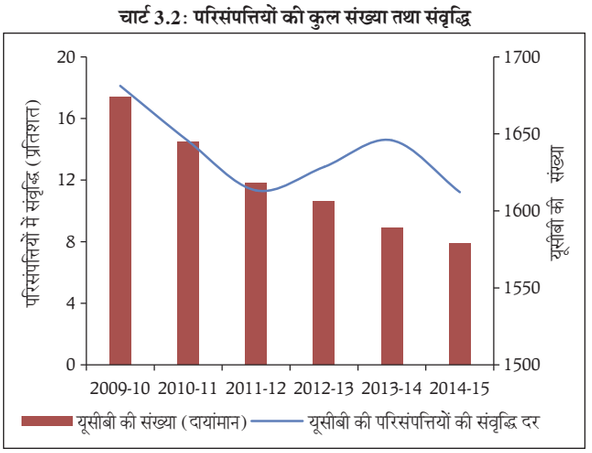

टिप्पणी: 2014-15 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन।

चार्ट 3.3: यूसीबी की लाभ प्रदता के विशिष्ट संकेतक

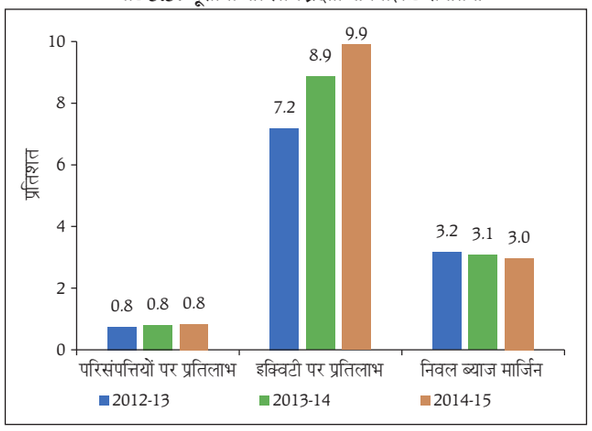

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

चार्ट 3.4: यूसीबी की आय और व्यय - प्रतिशत में भिन्नता

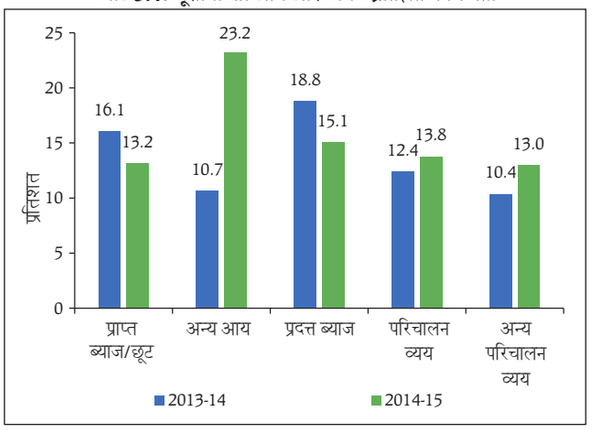

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

3.4 यूसीबी का इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) के मामले में अच्छा कार्य निष्पादन रहा। तथापि, निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में बहुत कम गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 3.3)। ब्याज आय और ब्याज व्यय दोनों की संवृद्धि में धीमी गति रही जबकि अन्य आय और अन्य परिचालन व्यय की संवृद्धि में 2014-15 के दौरान बढ़ोत्तरी हुई (चार्ट 3.4)।

परिसंपत्ति गुणवत्ता

3.5 सकल अनर्जक परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में बढ़ोतरी हुई (चार्ट 3.5)। जीएनपीए अनुपात मार्च 2014 के अंत में 5.7 प्रतिशत रहा जो बढ़कर मार्च 2015 के अंत में 6.0 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान निवल अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात भी 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार, सकल अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि (चार्ट 3.6) के मुकाबले प्रावधानित राशियों में न्यून दर से वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में प्रावधान संबंधी कवरेज अनुपात निम्नस्तर पर रहा।

चार्ट 3.5: यूसीबी के अनर्जक अग्रिम

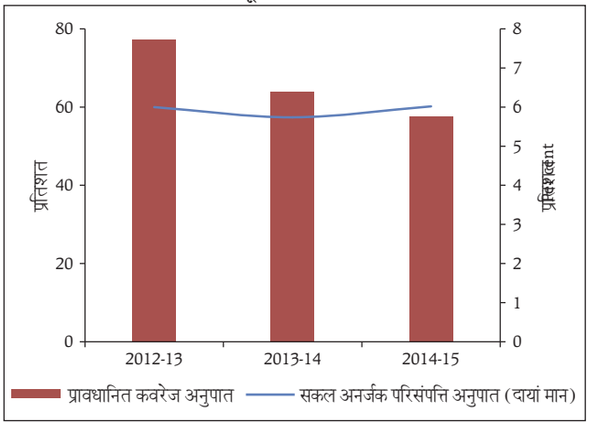

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

चार्ट 3.6: परिसंपत्ति, अनर्जक परिसंपत्तियों में संवृद्धि तथा प्रावधान

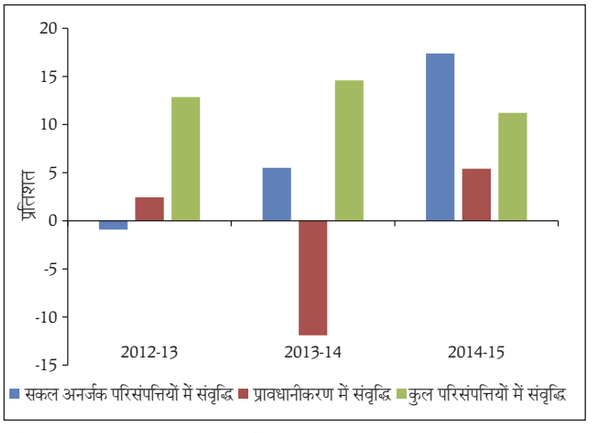

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

शहरी सहकारी बैंकों संबंधी गतिविधियां

3.6 शहरी सहकारी बैंकों की उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री आर.गांधी) ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत और रुपए 200 बिलियन या उससे अधिक कारोबार आकार (जमाराशियों तथा अग्रिमों) वाले यूसीबी को वाणिज्य बैंकों में परिवर्तित करने पर विचार किया जाए जबकि छोटे आकार वाले यूसीबी जो लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में परिवर्तित होना चाहते हैं वे परिवर्तन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकते

चार्ट 3.7: जमाराशि आकार के आधार पर यूसीबी का वितरण - 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

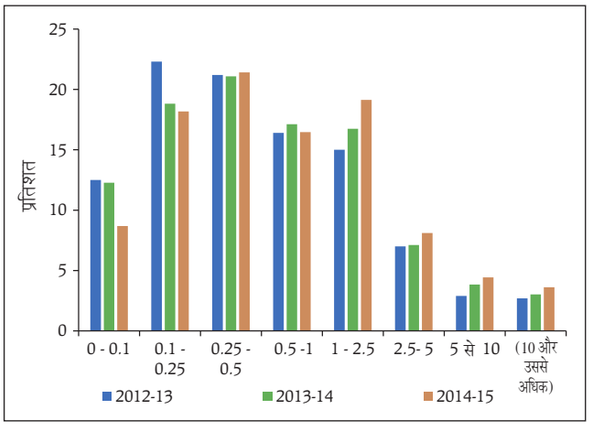

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

चार्ट 3.8: अग्रिम आकार के आधार पर यूसीबी का वितरण - 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

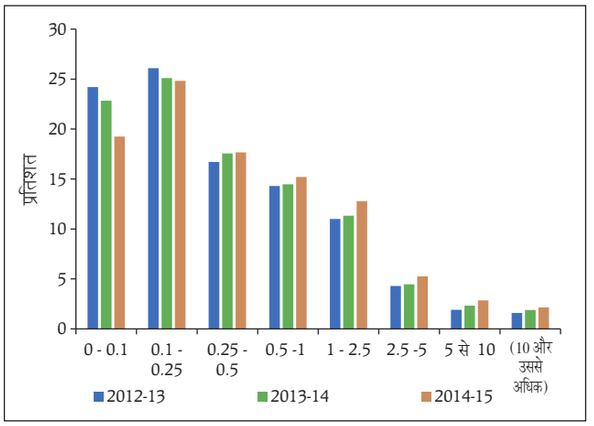

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

हैं बशर्ते वे सभी पात्रता मानदंडों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया को पूरा करते हों और यदि एसएफबी के लिए लाइसेंसींग विंडो खुला हो[1]। यूसीबी की बढ़ती जमाराशियों और अग्रिमों पर समिति के विचारों की तरह यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि विलयन और समामेलन के कारण यूसीबी की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, टियर II यूसीबी की संख्या बढ़ रही है (मार्च 2013 के अंत में 412 से मार्च 2014 के अंत में 442 हो गई तथा मार्च 2015 के अंत में बढ़कर यह 447 हो गई)[2]।

3.7 यूसीबी की जमाराशियों और अग्रिमों के आकार में प्रत्यक्ष बढ़ोत्तरी हुई है (चार्ट 3.7 और3.8)। अनुसूचित शहरी सहकारिताओं की पूंजी आधार में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। 2014 में लघु वित्त बैंक बनने के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी मानदंड के अनुसार 2014 में छह यूसीबी योग्य पाए गए। मार्च 2015 के अंत तक ऐसी यूसीबी की संख्या आठ हो गई।

3.8 सीएएमईएलएस मॉडेल 'ए' के अंतर्गत सबसे अच्छे मूल्यांकन वर्ग में यूसीबी का शेयर 2013-14 में 24.7 प्रतिशत था जो बढ़कर 2014-15 में 28.4 प्रतिशत हो गया। तथापि, इस वर्ग में बैंकिंग कारोबार के शेयर में 2014-15 के दौरान गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 3.9)।

चार्ट 3.9: वर्ग 'कट की रेटिंग में यूसीबी का शेयर - संख्या और कारोबार आकार

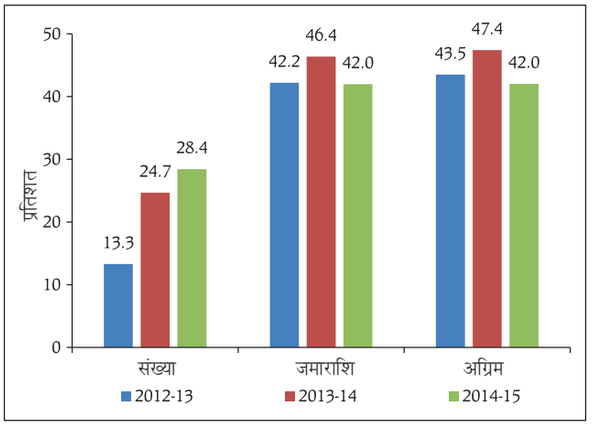

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

[1] इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जनवरी 2015 को किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2015 को प्रस्तुत की। समीति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें भी की गई :

- ऐसी सहकारी ऋण सोसाइटियों को लाइसेंस जारी किए जाएं जो वित्तीय रूप से स्वस्थ हो और जिनका अच्छा प्रबंधन हो और जिनका कम से कम 5 वर्ष का ट्रेक रिकार्ड हो जो रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंसींग शर्त के रूप में निर्धारित नियामक निर्देश को पूरा करते हों।
- नए यूसीबी की लाइसेंसींग तथा मौजूदा यूसीबी के विस्तार के लिए अनिवार्य लाइसेंसींग शर्त के रूप में निदेशक मंडल के अलावा एक प्रबंधन मंडल का गठन किया जाना चाहिए।

[2] टियर -I यूसीबी को निम्नलिखित के कारण यूसीबी के रूप में परिभाषित किया गया :

- केवल एक जिले में कार्यरत रुपए 1 बिलियन से कम जमाराशि आधार वाले।
- एक से अधिक जिलों में कार्यरत रुपए 1 बिलियन से कम जमाराशि आधार वाले बशर्ते शाखाएं निकटवर्ती जिलों में स्थित हो तथा एक जिला में शाखाओं की जमाराशियां और अग्रिम अलग से बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियां और अग्रिम का कम से कम 95 प्रतिशत भाग हो।
- रुपए 1 बिलियन से कम जमाराशि आधार, जिनकी शाखाएं मूल रूप से केवल एक जिला में थी लेकिन तदोपरांत जिला के पुनर्गठन के कारण बहु-जिला बन गई। अन्य सभी यूसीबी को टियर II यूसीबी के रूप परिभाषित किया गया है।

3.9 वर्ष के दौरान जमाराशि अनुपात की तुलना में ऋण समतल रहा। तथापि, सभी यूसीबी के लिए जमाराशि अनुपात की तुलना में निवेश में लगातार दो वर्ष के लिए गिरावट (2013 में 39.2 प्रतिशत से 2014 में 36.3 प्रतिशत और आगे 2015 में 34.7 प्रतिशत) दर्ज की गई। एसएलआर निवेश में कमी महसूस की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान गैर-सांविधिक चलनिधि निवेश की स्थिति में सुधार दिखाई दिया (चार्ट 3.10)।

चार्ट 3.10: सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - प्रतिशत में घटबढ़

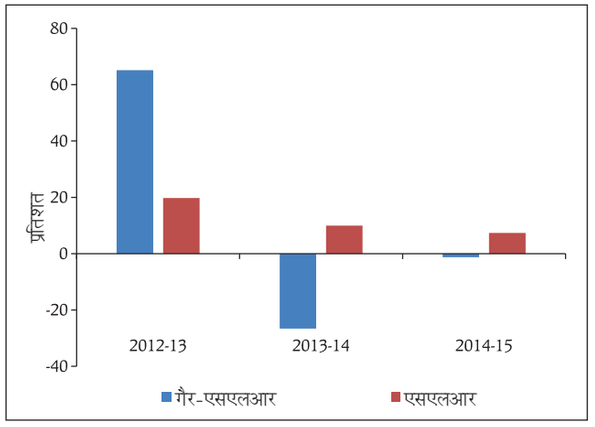

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

अनुसूचित यूसीबी

3.10 मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार 50 अनुसूचित यूसीबी थे और सभी यूसीबी की कुल परिसंपत्तियों में उनका शेयर हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मामूली बढ़ा (चार्ट 3.11)।

3.11 अनुसूचित यूसीबी के तुलन-पत्र में 2013-14 में 15 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 12 प्रतिशत से विस्तार हुआ। जबकि 2013-14 में तुलन-पत्र विस्तार में जमाराशियां तथा ऋण और अग्रिमों में वृद्धि का योगदान महत्वपूर्ण रहा, 2014-15 की मंदी के कारण अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में कम संवृद्धि रही।

3.12 2014-15 में आय में संवृद्धि की तुलना में व्यय वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही। 2014-15 में व्यय वृद्धि की तुलना में ब्याज खर्च का योगदान 81.4 से 77.7 प्रतिशत रहा।

3.13 2013-15 की अवधि के दौरान अनुसूचित यूसीबी के लाभप्रदता संकेतक स्थिर रहे (चार्ट 3.12)।

चार्ट 3.11: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी - कुल परिसंपत्तियों में शेयर - 31 मार्च की स्थिति

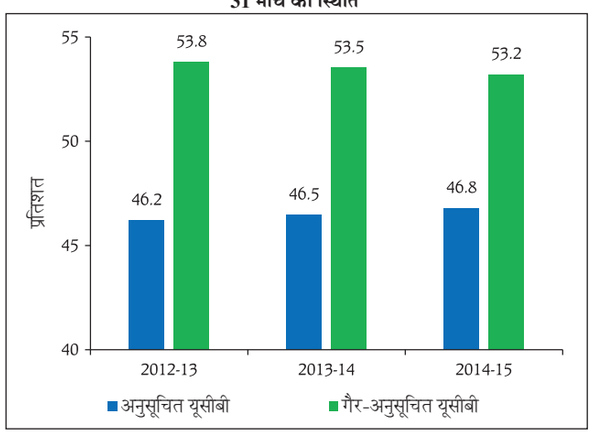

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

चार्ट 3.12: यूसीबी का लाभप्रदत्ता संकेतक - प्रकार के अनुसार

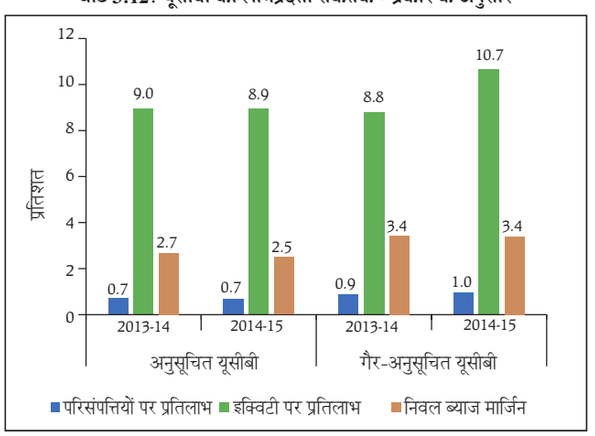

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ आकलन

यूसीबी का प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम

3.14 2014-15 की अवधि के दौरान कुल अग्रिम की तुलना में यूसीबी के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 2013-14 में 48.9 प्रतिशत से बढ़कर 49.4 प्रतिशत हो गया। लघु उद्यम को ऋण तथा यूसीबी आवास 2013 स्तर से बढ़ा है और उसका इन सहकारिताओं के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों पर एक शहरी फोकस के साथ हावी रहना जारी है। कृषि क्षेत्र को अग्रिम में गिरावट जारी रही (चार्ट 3.13)। तथापि, कमजोर वर्गों (माइक्रो ऋण तथा माइक्रो और लघु उद्यमों) के प्रति निर्देशित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम की प्रतिशतता में 2014-15 के दौरान सुधार रहा जिससे बढ़ोत्तरी दिखाई दे रही है और जो वित्तीय समावेशन के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता दर्शाता है (चार्ट 3.14)।

ग्रामीण सहकारी बैंक

3.15 अल्पावधि ऋण सहकारिताएं जिसमें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) शामिल हैं का शेयर 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कुल परिसंपत्तियों में 93 प्रतिशत रहा जबकि शेष शेयर दीर्घावधि ऋण सहकारिताओं का रहा (सारणी 3.1)।

चार्ट 3.13: यूसीबी द्वारा चयनित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण का प्रतिशतता वितरण

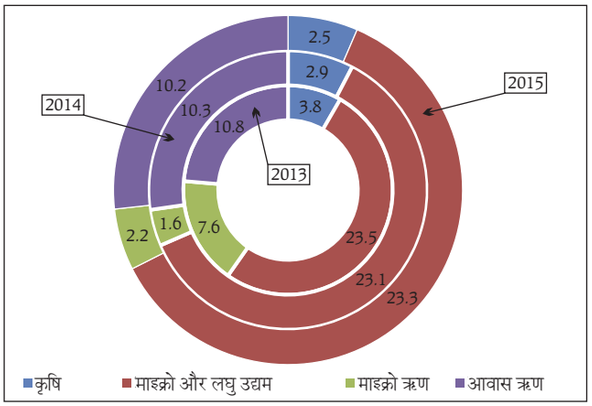

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 3.14: यूसीबी द्वारा कमजोर वर्गों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

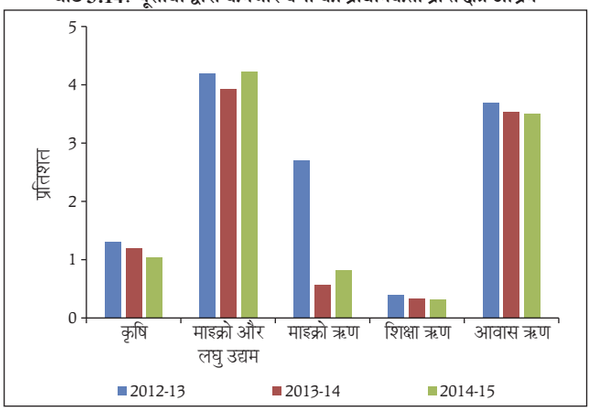

स्रोत: आरबीआई

सारणी 3.1: ग्रामीण सहकारिताओं का प्रोफाइल (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार) (राशि ₹ बिलियन में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारिताओं की संख्या	**32**	**370**	**93042**	**20**	**714**
बी. तुलन-पत्र संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी+आरक्षित निधि)	129.9	273.7	189.2	68.7	53.0
ii. जमाराशियां	1043.7	2368.9	819.0	15.4	7.4
iii. उधार राशि	610.0	726.9	958.4	157.5	144.4
iv. ऋण और अग्रिम	1031.2	2030.03	1300.5*	204.0	128.9
v. कुल देयताएं / परिसंपत्तियां	1904.1	3734.6	2124.3+	310.3	279.7
सी. वित्तीय कार्य -निष्पादन					
i. लाभ वाली संस्थाएं					
ए. संख्या	26	331	43327	8	372
बी. लाभ की राशि	9.8	15.2	110.5	1.6	2.7
ii. हानि वाली संस्थाएं					
ए. संख्या	6	36	37662	11	340
बी. हानि की राशि	0.9	3.5	91.2	5.1	5.1
iii. समग्र लाभ (+)/हानि (-)	8.9	11.7	19.3	-3.5	-2.4
डी. अनर्जक परिसंपत्तियां					
i. राशि	57.0	199.4	296.3++	72.6	48.1
ii. बकाया ऋण की प्रतिशतता के रूप में	5.5	9.8	22.8	35.6	37.3
ई. मांग अनुपात की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत)	**82.5**	**78.3**	**NA**	**33.3**	**43.9**

टिप्पणी : * बकाया ऋण और अग्रिम, + कार्यशील पूंजी, ++ कुल अतिदेय **एनए =** उपलब्ध नहीं
स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी

अल्पावधि ग्रामीण ऋण - एसटीसीबी और डीसीसीबी

3.16 2013-14 के दौरान राज्य और जिला सहकारिताओं दोनों के तुलन-पत्र में बढ़ोत्तरी हुई, तथापि, डीसीसीबी के लिए 2013-14 में इसकी बढ़ोत्तरी की गति धीमी रही (चार्ट 3.15)। इस कमी का कारण था आरक्षित निधियों में गिरावट। 2013-14 में एसटीसीबी की आय 9.7 प्रतिशत से बढ़ी जबकि उसी अवधि के दौरान उनका व्यय 13 प्रतिशत से बढ़ा। प्रमुख घटक जिसका व्यय में भिन्नता में योगदान रहा वह था प्रावधानीकरण और आकस्मिकताओं में तीव्र बढ़ोतरी। ब्याज और ब्याज रहित व्यय दोनों में वृद्धि के कारण 2013-14 के दौरान डीसीसीबी के निवल लाभ की वृद्धि में तीव्र कमी दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान डीसीसीबी की अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय स्थिरता संकेतकों के अनुसार, डीसीसीबी की तुलना में एसटीसीबी का अच्छा प्रदर्शन रहा (सारणी 3.2)।

चार्ट 3.15: राज्य सहकारी बैंक के चयनित तुलन-पत्र संकेतक

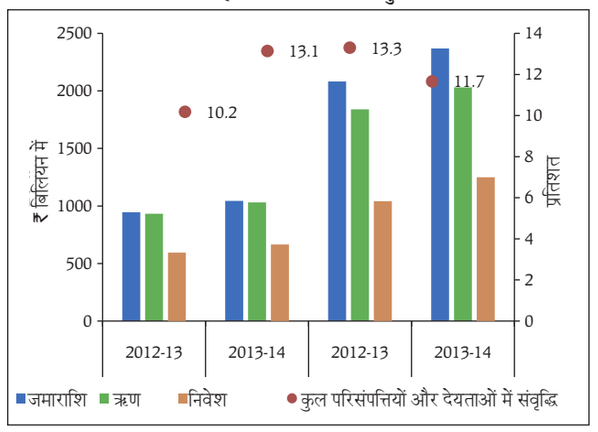

स्रोत: नाबार्ड

3.17 2013-14 के दौरान, एसटीसीबी के अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात में दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। दक्षिणी क्षेत्र में अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात (4.3 से 5.4) में वृद्धि दर्शाई गई हालाँकि इस क्षेत्र में वसूली अनुपात में भी वृद्धी हुई।

3.18 जिला स्तर पर, 2013-14 में दक्षिणी क्षेत्र में डीसीसीबी अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात में मामूली से वृद्धि हुई तथा वर्ष के दौरान जिला स्तर पर वसूली अनुपात में भी गिरावट दर्ज की गई। 2013-14 के दौरान पश्चिमी (71.4 से 75.2) और केंद्रीय क्षेत्रों (63.5 से 70.8) को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जिला स्तर पर वसूली अनुपात में गिरावट दर्ज की गई।

सारणी 3.2: ग्रामीण सहकारी बैंकों (अल्पावधि) के स्वस्थ संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	एसटीसीबी				डीसीसीबी			
	मार्च के अंत तक		प्रतिशतता में भिन्नता		मार्च के अंत तक		प्रतिशतता में भिन्नता	
	2013	2014पी	2012-13	2013-14पी	2013	2014पी	2012-13	2013-14पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल अनर्जक परिसंपत्तियां (i+ii+iii)	56.3	57.0	4.1	1.2	180.5	209.0	12.1	15.8
i. उप-मानक	20.6 (36.6)	20.7 (36.3)	28.7	0.5	78.7 (43.6)	100.2 (47.9)	25.0	27.3
ii. संदिग्ध	19.9 (35.4)	26.1 (45.9)	-17.1	31.2	76.2 (42.2)	86.9 (42.6)	7.3	14.0
iii. हानि	15.8 (28.1)	10.2 (17.9)	5.3	-35.4	25.6 (14.2)	21.9 (10.5)	-5.2	-14.4
बी. ऋण अनुपात की तुलना में अनर्जक परिसंपत्तियां (%)	6.1	5.5			9.9	10.3		
सी. मांग अनुपात की तुलना में वसूली (%) (पिछले वर्ष के 30 जून की स्थिति)	94.8	82.5			80.0	78.3		

पी.: अनंतिम
टिप्पणियां: 1. : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रतिशतता है।
2. : आंकड़ों को रुपये बिलियन में परिवर्तित करने के कारण कुल आंकड़े वास्तविक जोड़ से मेल नहीं खाएंगे।
स्रोत: नाबार्ड

चार्ट 3.16: पीएसीएस से बकाया ऋण में संवृद्धि

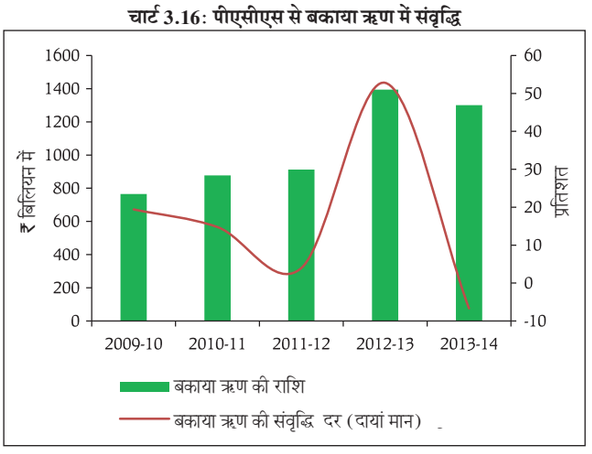

स्रोत: एनएएफएससीओबी

प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस)

3.19 2012-13 में बकाया ऋण में वृद्धि के बाद, 2013-14 में पीएसीएस की ऋण वृद्धि दर की गति धीमी रही (चार्ट 3.16)।

3.20 सदस्य की तुलना में उधारकर्ता का समग्र अनुपात जो पीएसीएस से ऋण तक की पहुंच का एक उपयोगी संकेतक है, उसमें 2011-12 स्तर से गिरावट जारी रही। किसान-छोटे और सीमांत-पीएसीएस के बहुमत सदस्य बने रहे तथा उनका सभी समूहों के बीच सदस्य की तुलना में उधारकर्ता का अनुपात अधिकत्तम रहा। पिछले तीन वर्षों में उधारकर्ता-सदस्य अनुपात में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 3.17)।

3.21 2013-14 के दौरान, घाटे में चल रही पीएसीएस की प्रतिशतता स्थिर रही तथा लाभ में चल रही पीएसीएस की प्रतिशतता मामूली रूप से 46.6 प्रतिशत से बढ़ी (चार्ट 3.18)। पूर्वी क्षेत्र और उसके बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है जिसमें घाटे में चल रही पीएसीएस की संख्या लाभ में चल रही पीएसीएस की संख्या से अधिक है (चार्ट 3.19)। उत्तरी और केन्द्रीय क्षेत्र अब भी मजबूत हैं क्योंकि घाटे में चल रही पीएसीएस की तुलना में लाभ में चल रही पीएसीएस की संख्या बहुत अधिक है।

चार्ट 3.17: पीएसीएस की सदस्यता में समूह-वार शेयर तथा समग्र उधारकर्ता सदस्य अनुपात

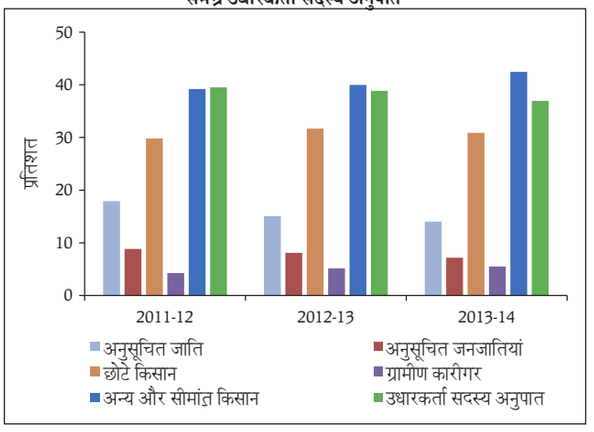

स्रोत: एनएएफएससीओबी

चार्ट 3.18: लाभ और हानि में पीएसीएस की प्रतिशतता -अखिल भारतीय

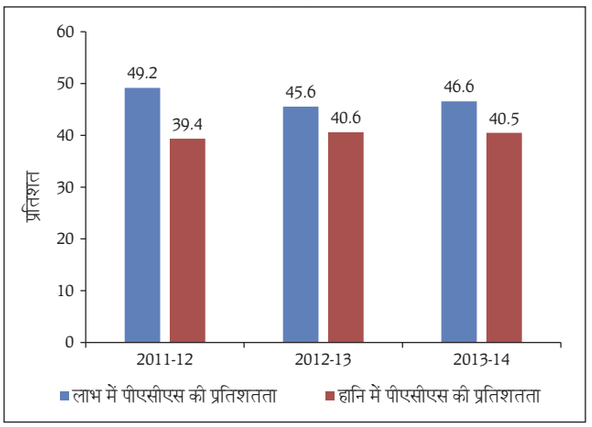

टिप्पणी: केवल रिपोर्टिंग पीएसीएस से संबंधित डाटा
स्रोत: एनएएफएससीओबी

चार्ट 3.19: लाभ और हानि में पीएसीएस की प्रतिशतता - 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय स्तर

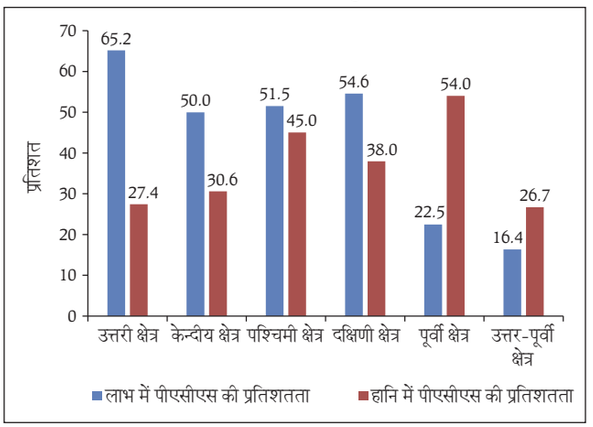

टिप्पणी: केवल रिपोर्टिंग पीएसीएस से संबंधित डाटा
स्रोत: एनएएफएससीओबी

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

3.22 एससीएआर की तुलन-पत्र वृद्धि धीमी रही जो 2012-13 में 8 प्रतिशत से कम हो कर 2013-14 में 1प्रतिशत रह गई। 'अन्य देयताएं' और 'अन्य परिसंपत्तियां' की ऋणात्मक वृद्धि के कारण आरक्षित निधि तथा ऋण और अग्रिमों में वृद्धि का पलड़ा भारी रहा। व्यय के संबंध में परिचालन व्यय शेयर में गिरावट गैर-मजदूरी व्यय की गिरावट, जिससे मजदूरी व्यय की वृद्धि का समायोजन हुआ, के कारण हुई।

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण - प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

3.23 2012-13 के दौरान तुलन-पत्र विस्तार की तुलना में 2013-14 में तुलन-पत्र संकुचन 'अन्य देयताओं', ऋण और अग्रिमों तथा 'अन्य परिसंपत्तियां' में गिरावट के कारण हुआ (चार्ट 3.20 और 3.21)।

3.24 2013-14 में पीसीएआरडीबी के व्यय की तुलना में आय में उच्चत्तर दर से बढ़ोत्तरी हुई। 2013-14 में एससीएआरबीडी के अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात में मामूली सी गिरावट रही जबकि पीसीएआरडीबी का अनुपात लगभग स्थिर रहा। तथापि, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी दोनों के वसूली अनुपात में सुधार दर्शाया गया (सारणी 3.3)।

चार्ट 3.20: कुल देयताओं में घटबढ़ की तुलना में घटक अंशदान की प्रतिशतता - पीसीएआरडीबी

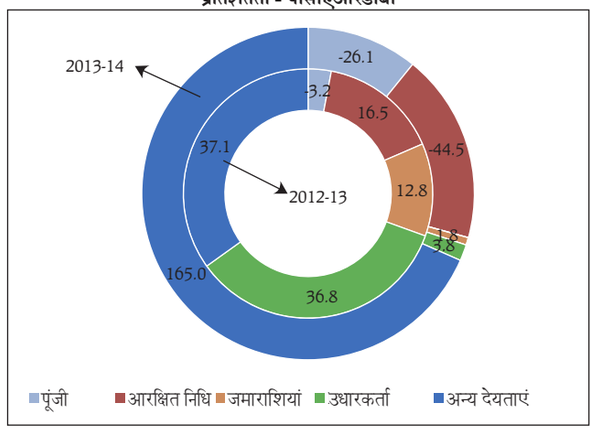

स्रोत: नाबार्ड

चार्ट 3.21: कुल परिसंपत्तियों में भिन्नता की तुलना में घटक अंशदान की प्रतिशतता - पीसीएआरडीबी

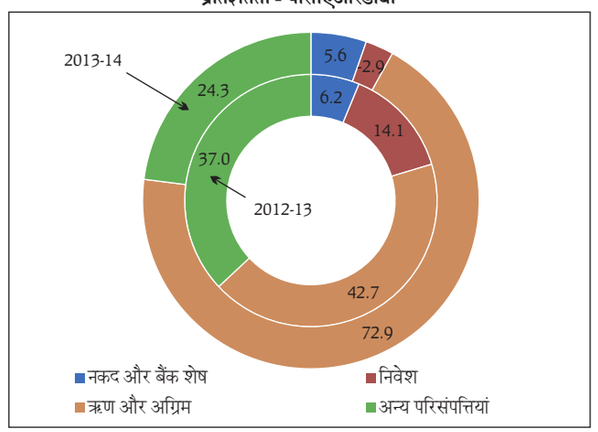

स्रोत: नाबार्ड

सारणी 3.3: ग्रामीण सहकारी बैंकों (दीर्घावधि) के स्वस्थ संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	एससीएआरडीबी				पीसीएआरडीबी			
	मार्च के अंत तक		प्रतिशतता में भिन्नता		मार्च के अंत तक		प्रतिशतता में भिन्नता	
	2013	2014पी	2012-13	2013-14पी	2013	2014पी	2012-13	2013-14पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल अनर्जक परिसंपत्तियां (i+ii+iii)	67.5	72.6	4.9	7.5	49.8	48.1	7.7	-3.4
i. उप-मानक	28.2 (41.7)	31.0 (42.8)	-4.9	10.3	23.2 (46.6)	22.1 (46.0)	10.6	- 4.7
ii. संदिग्ध	38.1 (56.4)	41.4 (57.0)	10.5	8.7	26.2 (52.6)	25.6 (53.3)	5.0	-2.2
iii. हानि	1.2 (1.8)	0.1 (0.2)	602.2	-91.7	0.43 (0.9)	0.37 (0.8)	27.7	-14.0
बी. ऋण अनुपात की तुलना में अनर्जक परिसंपत्तियां (%)	36	35.6			37.7	37.3		
सी. मांग अनुपात की तुलना में वसूली (%) (पिछले वर्ष के 30 जून की स्थिति)	32.3	33.3			41.7	44.0		

पी.: अनंतिम

टिप्पणियां : 1. : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रतिशतता है।

2. : आंकड़ों को रुपये बिलियन में परिवर्तित करने के कारण कुल आंकड़े वास्तविक जोड़ से मेल नहीं खाएंगे।

स्रोत: नाबार्ड

अध्याय IV
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

परिचय

4.1 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और प्राथमिक व्यापारी (पीडी), भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जिसका विनियमन और पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। एआईएफआई एक संस्थागत व्यवस्था है जो क्षेत्र-विशेष को दीर्घावधि के लिए वित्त प्रदान करते हैं। एनबीएफसी, प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र की संस्थाएं, विविध प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जिसमें उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, ऋण एवं निवेश शामिल हैं। प्राथमिक व्यापारी प्राथमिक और गौण सरकारी प्रतिभूति बाजार, दोनों, को बढ़ावा देने में (पीडी) महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एनबीएफआई क्षेत्र के परिचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई)

4.2 वर्तमान में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) रिज़र्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाले चार एआईएफआई हैं। वे वित्तीय बाजारों में क्रेडिट विस्तार और पुनर्वित्त परिचालन कार्यों के जरिए हितकारी भूमिका अदा करते हैं और औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घावधि वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

एआईएफआई के तुलन पत्र

4.3 एआईएफआई के समेकित तुलन पत्र में 2014-15 के दौरान 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले कुछ वर्षों में हुई दो अंकों की वृद्धि की तुलना में गिरावट दर्शाती है (सारणी 4.1)। 2014-15 के दौरान ऋणों और अग्रिमों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जमाराशियों और उधार में क्रमशः 17 और 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एआईएफआई द्वारा, वर्ष के दौरान, अल्पावधि निधि जुटाई गई, वह भी प्रमुख रूप से वाणिज्यिक पत्रों के जरिए, जिसे समावेशक सीमा (अम्ब्रेला लिमिट)[1] के अंतर्गत रखा गया। एक्जिम बैंक और एनएचबी ने संसाधनों को जुटाने के लिए 50 प्रतिशत से कम समावेशक सीमा का उपयोग किया।

सारणी 4.1: एआईएफआई की देयताएं और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि मिलियन ₹ में)

मद	2014	2015	प्रतिशत घट-बढ़
देयताएं			
1. पूंजी	93594 (2.06)	109594 (2.21)	17.1
2. रिज़र्व	520298 (11.45)	566533 (11.44)	8.9
3. बांड और डिबेंचर	1141801 (25.13)	1059890 (21.41)	-7.2
4. जमाराशियां	1865420 (41.05)	2183064 (44.09)	17.0
5. उधार राशि	659456 (14.51)	723318 (14.61)	9.7
6. अन्य देयताएं	263486 (5.80)	308423 (6.23)	17.0
कुल देयताएं और आस्तियां	**4544054**	**4950822**	**9.0**
आस्तियां			
1. नकदी और बैंक में जमा राशि	73364 (1.61)	78213 (1.58)	6.7
2. निवेश	243345 (5.36)	256028 (5.17)	5.2
3. ऋण और अग्रिम	3911090 (86.07)	4352598 (87.92)	11.3
4. भुनाए गए / पुनर्भनाए गए बिल	58385 (1.28)	21067 (0.43)	-64.0
5. स्थिर आस्तियां	6253 (0.14)	6586 (0.13)	5.3
6. अन्य आस्तियां	251617 (5.54)	236330 (4.77)	-6.1

टिप्पणियां: i. आंकड़े चार एफआई से संबंधित हैं, जैसे, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी। एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी के आंकड़े मार्च अंत के हैं, जबकि एनएचबी के आंकड़े जून अंत के हैं।
ii. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं या आस्तियों की तुलना में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: क्रमशः मार्च 2014 और 2015 के अंत की एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखापरीक्षित ऑस्मोस विवरणियां।
क्रमशः जून 2014 और 2015 के अंत की एनएचबी की लेखापरीक्षित ऑस्मोस विवरणियां।

[1] एआईएफआई को कुल 'समावेशक सीमा' (अम्ब्रेला लिमिट) के अन्दर संसाधन जुटाने की अनुमति प्राप्त है, जो, संबंधित एफआई के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) से संबंधित है। यह समावेशक सीमा पांच लिखतों पर लागू है जैसे, मियादी जमाराशियां, मियादी मुद्रा उधार, जमा प्रमाणपत्रों (सीडी), वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और अंतर-कॉरपोरेट जमाराशियां।

सारणी 4.2: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि मिलियन ₹ में)

	2013-14	2014-15	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
ए) आय (ए + बी)	**325765**	**350113**	**24348**	**7.5**
ए) ब्याज से आय	308887	333694	24807	8.0
	(94.82)	(95.31)		
बी) गैर ब्याज आय	16878	16419	- 459	- 2.7
	(5.18)	(4.69)		
बी) व्यय (ए + बी)	**236803**	**262646**	**25843**	**10.9**
ए) ब्याज पर व्यय	219322	243332	24010	10.9
	(92.62)	(92.65)		
बी) परिचालन व्यय	17480	19314	1834	10.5
	(7.38)	(7.35)		
जिनमें से वेतन बिल	12257	13624	1367	11.1
सी) लाभ				
परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)	61330	78339	17009	27.7
निवल लाभ (कर पश्चात लाभ)	41751	52930	11179	26.7

टिप्पणी: (i) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय की तुलना में प्रतिशत को दर्शाते हैं।
(ii) पूर्ण आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया।

स्रोत: 1. क्रमशः मार्च 2014 और 2015 के अंत की एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखापरीक्षित ऑस्मोस विवरणियां।
2. क्रमशः जून 2014 और 2015 के अंत की एनएचबी की लेखापरीक्षित ऑस्मोस विवरणियां।

वित्तीय संकेतक

4.4 एआईएफआई ने 2014-15 के दौरान अल्प वृद्धि दर्ज की जो ब्याज आय में कम वृद्धि और गैर-ब्याज आय में कमी की वजह से थी जबकि भुनाए गए/पुनर्भुनाए गए बिलों से प्राप्त आय में भी भारी कमी आई (सारणी 4.2)। तथापि, एआईएफआई ने लाभप्रदता में बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि वर्ष के दौरान उनके परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में भारी वृद्धि हुई।

4.5 एआईएफआई ने निर्धारित मानदंड़ से अधिक पूंजी बनाए रखा और वर्ष के दौरान उनकी पूंजी पर्याप्तता स्थिति में तुलनात्मक रूप से सुधार आया (चार्ट 4.1)।

4.6 पूर्ण रूप से, एक्जिम बैंक को छोड़कर, जिनका आस्तियों पर प्रतिलाभ सीमांत रूप से कम था, एफआई को वर्ष के दौरान उनकी आस्तियों से उच्चतर प्रतिलाभ हुआ (चार्ट 4.2)।

चार्ट 4.1: एआईएफआई का जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - 31 मार्च की स्थिति

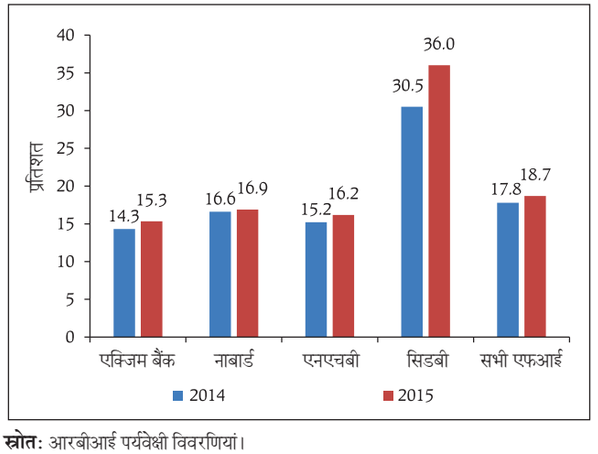

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.2: एआईएफआई का आस्तियों पर औसत प्रतिलाभ

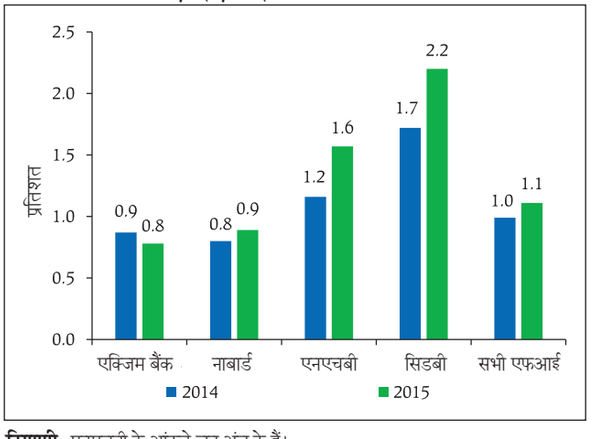

टिप्पणी: एनएचबी के आंकड़े जून अंत के हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

4.7 एफआई की आस्ति गुणवत्ता में सीमांत रूप से गिरावट आई और ऋणों की तुलना में निवल एनपीए का प्रतिशत 2013-14 के 0.19 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 0.26 प्रतिशत हो गया (चार्ट 4.3)। फिर भी, इन चार एफआई की दबावग्रस्त आस्ति स्थिति, वाणिज्य बैंकों और अन्य एनबीएफसी की तुलना में बेहतर रही।

चार्ट 4.3: एआईएफआई के निवल एनपीए/निवल ऋण - 31 मार्च की स्थिति

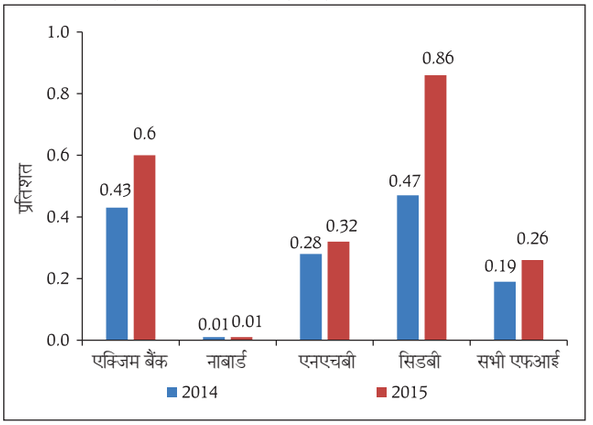

टिप्पणी: एनएचबी के आंकड़े जून अंत के हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

4.8 एनबीएफसी को उनकी देयता संरचना के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: (क) जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी, और (ख) जमाराशि न स्वीकार करने वाले एनबीएफसी। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 11,842 एनबीएफसी रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत थे; जिनमें से 220 जमाराशि स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) और 11,622 जमाराशि न स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-एनडी) संस्थाएं थीं। दो मौजूदा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आरएनबीसी)[2] अपने कारोबारों को समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

4.9 भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी क्षेत्र की भूमिका, आकार, विस्तार और परिचालन के आला क्षेत्रों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बन गई है। अनेक बड़े एनबीएफसी ने विशाल रूप ले लिया है एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ ज्यादा जुड़ गए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के विनियामक ढांचे की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक बन पड़ी है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय कमियों, अंतरपणन एवं एनबीएफसी से जुड़े जोखिमों का समाधान करने की दृष्टि से कई उपाय किए ताकि एनबीएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया जा सके तथा उनके विनियमनों को बैंकों के साथ चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा सके और साथ ही वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी)

4.10 रिज़र्व बैंक, नीति विचार-विमर्श के हिस्से के रूप में, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दृष्टि से एनबीएफसी को जमाराशि संग्रहण गतिविधियों से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। एनबीएफसी-डी के विनियमों को सुदृढ़ किया गया ताकि केवल मजबूत और अच्छी तरह से कार्य करने वाले कारोबार बने रह सकें।

वित्तीय निष्पादन

जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के तुलन पत्र

4.11 एनबीएफसी-डी के तुलन पत्र में वर्ष के दौरान 2.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ (सारणी 4.3)। ऋणों और अग्रिमों, जो उनकी

सारणी 4.3: एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च की स्थिति

(राशि बिलियन ₹ में)

मदें	2014	2015 P	प्रतिशत घट-बढ़
1. शेयर पूंजी	33	32	-0.7
2. रिज़र्व और अधिशेष	274	276	0.9
3. जनता की जमाराशि	260	275	5.8
4. डिबेंचर	417	408	-2.1
5. बैंक से उधार	520	551	5.8
6. एफआई से उधार	16	16	2.6
7. अंतर-कॉरपोरेट उधार	1	2	32.7
8. वाणिज्यिक पत्र	93	78	-16.6
9. सरकार से उधार	38	38	-1.0
10. गौण ऋण	79	78	-2.2
11. अन्य उधार	153	170	11.1
कुल देयताएं/आस्तियां	**1885**	**1925**	**2.1**
1. ऋण और अग्रिम	1585	1601	1.0
2. किराया खरीद और पट्टेदारी आस्तियां	46	39	-14.8
3. निवेश	58	77	32.8
4. अन्य आस्तियां	195	205	5.1

अ: अनंतिम।
टिप्पणी: पूर्ण आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया। प्रतिशत घट-बढ़ सटीक संख्याओं पर आधारित है।
स्रोत: एनबीएफसी-डी की त्रैमासिक विवरणी।

[2] आरएनबीसी जो अपने कारोबार को समाप्त करने की प्रक्रिया में है, वे हैं पियरलेस जनरल फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट लि. और सहारा इंडिया फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन लि. (एसआईएफसीएल)।

आस्तियों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है, में मामूली वृद्धि हुई जबकि एनबीएफसी-डी की निवेश गतिविधियों में वर्ष के दौरान तेजी से वद्धि हुई। देयता पक्ष में, मुख्यतः जनता की जमाराशियों और बैंक उधार राशियों के संदर्भ में विस्तार हुआ। बैंकों से उधार अभी भी एनबीएफसी-डी के निधीयन का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। डिबेंचरों के माध्यम से निधि संग्रहण में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जो निधीयन के स्रोत का दूसरा बड़ा स्रोत है। वर्ष के दौरान वाणिज्यिक पत्रों के जरिए लिए गए उधार में भी भारी गिरावट आई।

वित्तीय संकेतक

4.12 लाभप्रदता वृद्धि में, गत वर्ष की तुलना में, 2014-15 के दौरान कमी आई जो अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज भुगतान बोझ के बढ़ने और उच्चतर परिचालन व्यय के कारण हो सकती है (चार्ट 4.4)।

एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता

4.13 2014-15 के दौरान सकल और निवल एनपीए दोनों के बढ़ने के कारण एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई (चार्ट 4.5)। श्रेणी-वार देखें तो, ऋण कंपनियों (एलसी) की तुलना में आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) में गिरावट अधिक थी।[3]

जमाराशि न लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)

वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.14 एक बिलियन रुपए या उससे अधिक आस्ति आकार वाले जमाराशि न लेने वाले एनबीएफसी को नवंबर 2014 तक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में वगीकृत किया गया था। तब से, एनबीएफसी-एनडी-एसआई[4] को वर्गीकृत करने के लिए आस्ति आकार में उर्ध्वमुखी संशोधन किया गया, जो अब 5 बिलियन रुपए हो गया है और 2014-15 के दौरान, एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलन पत्र में आस्ति पक्ष में ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में उल्लेखनीय वृद्धि एवं देयता पक्ष में उधार राशि में तेजी से वृद्धि की बदौलत काफी विस्तार हुआ (सारणी 4.4)।

चार्ट 4.4: एनबीएफसी-डी के चुनिंदा वित्तीय मानक - 31 मार्च की स्थिति

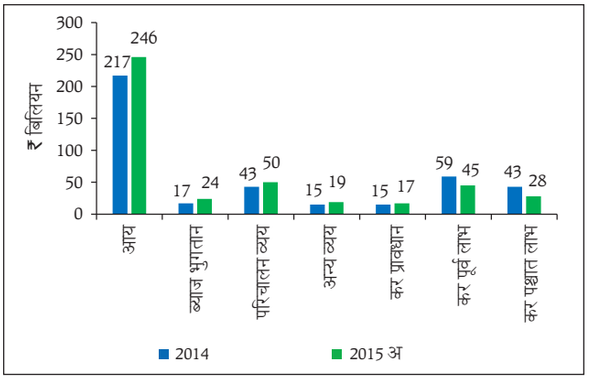

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.5: एनबीएफसी-डी के सकल एनपीए और निवल एनपीए

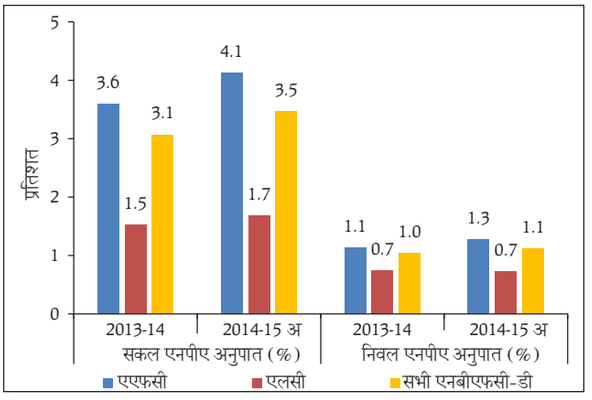

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 4.4: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च की स्थिति

(राशि बिलियन ₹ में)

मदें	2014	2015 अ	घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	638	685	7.4
2. रिज़र्व और अधिशेष	2311	2613	13.1
3. कुल उधारराशि	8669	10177	17.4
4. चालू देयताएं और प्रावधान	608	691	13.6
कुल देयताएं/कुल आस्तियां	**12226**	**14166**	**15.9**
1. ऋण और अग्रिम	8273	9555	15.5
2. किराया खरीद आस्तियां	895	985	10.1
3. निवेश	1888	2267	20.1
4. अन्य आस्तियां	1170	1359	16.2

अः अनंतिम।
टिप्पणी: इसमें 418 संस्थाओं के आंकड़े प्रस्तुत हैं, जिन्होंने क्रमशः मार्च 2014 और 2015 के अंत के आंकड़े लगातार रिपोर्ट किए हैं और जो एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र की कुल आस्तियों के 95 प्रतिशत से अधिक हैं।
स्रोत: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणी (रुपए 1 बिलियन और अधिक)।

[3] आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी): एएफसी गैर-बैंक वित्तीय कंपनी है, जिसका प्रमुख कारोबार भौतिक आस्तियों को वित्त प्रदान करना है। ऋण कंपनी (एलसी): एलसी गैर-बैंक वित्तीय कंपनी है, जिसका प्रमुख कारोबार अपने कार्यकलापों के सिवाय किसी दूसरे कार्यकलापों के लिए ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना है, किंतु इसमें एएफसी शामिल नहीं है।

[4] तथापि, तुलना की दृष्टि से, वर्तमान विश्लेषण में, एनबीएफसी-एनडी-एसआई की पुरानी परिभाषा को लिया गया है।

4.15 एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों ने 2014-15 के दौरान 15.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जबकि समान अवधि में वाणिज्य बैंकों के गैर-खाद्य ऋण में मंदी आई (चार्ट 4.6)। एनबीएफसी-अवसंरचना वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी), सूक्ष्मवित्त कंपनियों और ऋण कंपनियों द्वारा प्रदत्त ऋण में दृढ़ वृद्धि की बदौलत एनबीएफसी-एनडी-एसआई के ऋण पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि हुई।

4.16 2014-15 के दौरान, एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों के जरिए पूंजी जुटाई गई। बैंक से लिए गए उधार, जो पहले निधीयन का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, में उत्तरोत्तर रूप से गिरावट आई। वित्तीय लिखतों में, प्रमुख रूप से एनबीएफसी-आईएफसी, एलसी एवं एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा जारी लिखतों में म्यूच्युअल फंड्स का बढ़ता निवेश ध्यान देने योग्य बात है।

वित्तीय संकेतक

4.17 एनबीएफसी-एनडी-एसआई की लाभप्रदता में मार्च 2015 के अंत में काफी सुधार आया (चार्ट 4.7)। कुल आय की तुलना में निवल लाभ का अनुपात दो-अंकों में रहा और गत वर्ष के स्तर से अधिक था।

4.18 फिर भी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट जारी रही और एनपीए अनुपात गत वर्ष की तुलना में सीमांत रूप से बढ़ा (चार्ट 4.8)। मार्च के अंत में, एनबीएफसी-एनडी-एसआई में से एलसी का एनपीए सर्वाधिक था और उसके बाद आईएफसी एवं एएफसी का एनपीए अधिक था। एनबीएफसी-एमएफआई की आस्ति गुणवत्ता में कतिपय सुधार देखा गया, फिर भी वह उच्च स्तर पर रहा।

चार्ट 4.6: बैंक और एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण में तुलनात्मक वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

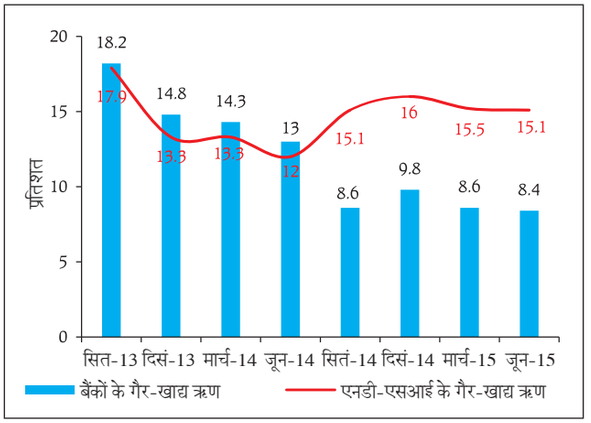

टिप्पणी: आंकड़े 1 बिलियन रुपए और उससे अधिक आस्ति आकार के एनबीएफसी-एनडी-एसआई से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट 4.7: एनबीएफसी-एनडी-एसआई के वित्तीय कार्य-निष्पादन - 31 मार्च की स्थिति

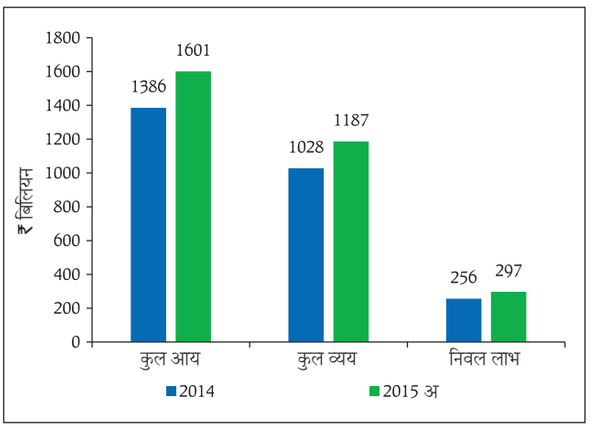

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.8: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का एनपीए अनुपात - 31 मार्च की स्थिति

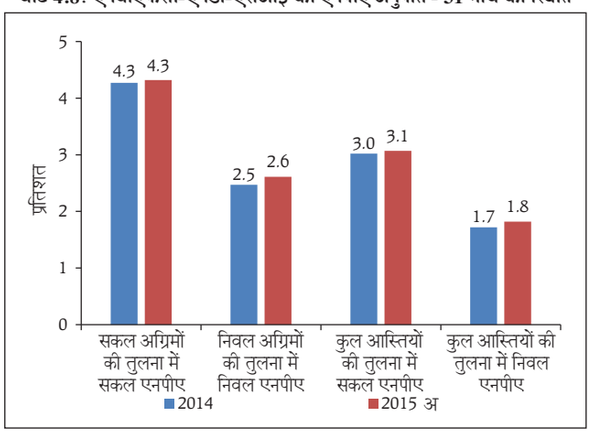

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

4.19 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के एनपीए, मुख्य रूप से अवसंरचना क्षेत्र, परिवहन परिचालक खंड, एवं मध्यम और बड़े पैमाने वाले उद्योगों में अधिक थे। तथापि, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के पास भरपूर पूंजी बनी रही। इन संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15 प्रतिशत के अधिदेशात्मक स्तर से बहुत अधिक रहा।

प्राथमिक विक्रेता (पीडी)

4.20 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, भारत के वित्तीय बाजार में 20 प्राथमिक विक्रेता (पीडी) कारोबार कर रहे थे। इनमें से, 13 बैंक के पीडी थे जबकि सात एकल पीडी थे। सभी पीडी की सफलता का अनुपात (प्रतिबद्ध बोलियों की तुलना में स्वीकृत बोलियां) गत वर्ष की तुलना में अधिक था और यह 2014-15 के दौरान 40 प्रतिशत के अधिदेशात्मक अनुपात से बहुत अधिक था। दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में, पीडी का हिस्सा (जारी प्रतिभूतियों की तुलना में स्वीकृत बोलियां) 2014-15 के दौरान सीमांत रूप से बढ़कर 51.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान न्यागमन दबाव तुलनात्मक रूप से कम रहा। 2014-15 के दौरान, पीडी का 52.7 बिलियन रुपए के लिए दो अवस्थाओं में आंशिक न्यागमन हुआ जबकि 2013-14 में 174.5 बिलियन रुपए के लिए 12 अवस्थाओं में आंशिक न्यागमन हुआ।

एकल (नेटवर्क रहित) प्राथमिक विक्रेताओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.21 सभी सात एकल पीडी ने 2014-15 के दौरान लाभ दर्ज किया। वर्ष के दौरान आय पर प्रतिफल में सहजता आने के कारण लाभप्रदता में वृद्धि हुई (चार्ट 4.9)।

4.22 वर्ष के दौरान एकल पीडी के पास जोखिम-भारित आस्तियां अधिक थीं (चार्ट 4.10)। वर्ष के दौरान पीडी की पूंजी पर्याप्तता स्थिति मार्च 2014 के अंत के 48.7 प्रतिशत से घटकर 39.6 प्रतिशत रह गई। तथापि, उनकी पूंजी पर्याप्तता स्थिति 15 प्रतिशत के विनियामकीय पूर्वापेक्षा से कई अधिक थी। इस अवधि के दौरान पीडी अपने सभी प्राथमिक और गौण बाजार विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम थे।

संपूर्ण मूल्यांकन

4.23 एनबीएफसी क्षेत्र की गतिकी, विशेषज्ञता प्राप्त सेवाओं के आला क्षेत्रों में उसकी विकासशील भूमिका को प्रतिबिंबित करती

चार्ट 4.9: एकल (नेटवर्क रहित) पीडी के वित्तीय कार्य-निष्पादन

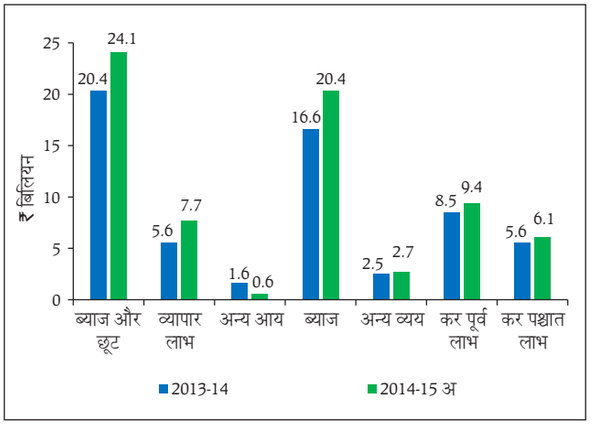

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.10: एकल (नेटवर्क रहित) पीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्ति स्थिति - 31 मार्च की स्थिति

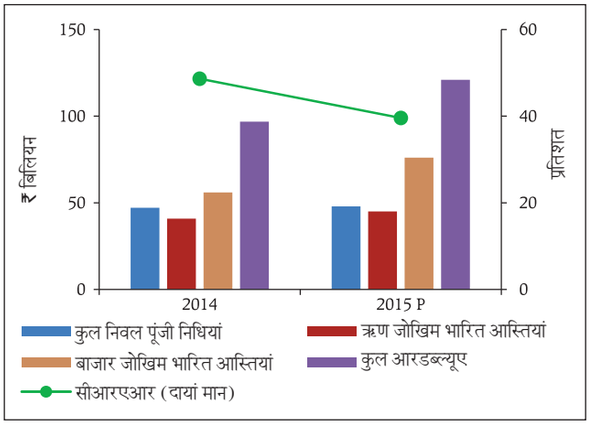

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

है। परिचालनगत रूप से, यह क्षेत्र पूंजी पर्याप्तता एवं लाभप्रदता के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में मजबूत रहा। एनबीएफसी क्षेत्र में कतिपय समेकन भी पाया गया और साथ ही कुछ बड़े आकार के एनबीएफसी और वृहद हुए तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, जिसका वित्तीय स्थिरता निहितार्थ है, के साथ अच्छी तरह से जुड़े रहे। समग्र एनबीएफआई क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में भी हाल के वर्षों में गिरावट आई।

4.24 अशोध्य ऋणों की वसूली के मामले से निपटने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि 5 बिलियन रुपए एवं उससे अधिक आस्ति आकार वाले बड़े एनबीएफसी को सरफेसी अधिनियम, 2002[5] के दायरे में लाया जाए। विनियामकीय कमियों, वाणिज्य बैंकों की तुलना में एनबीएफसी के विनियमन में अंतर के कारण अन्तर-पणन तथा एनबीएफसी से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय रूपरेखा में संशोधन किया है। नवंबर 2014 में लागू की गई संशोधित विनियामकीय रूपरेखा का उद्देश्य है एनबीएफसी के विनियमों में कमियों का समाधान करना तथा उसके विनियमन को वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के अनुरूप करना। कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तनों में चरणबद्ध रूप से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया गया है, एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) को बढ़ाकर मार्च 2016 तक 10 मिलियन रुपए तथा मार्च 2017 तक 20 मिलियन रुपए करना, जनता की जमाराशि स्वीकार करने के लिए पात्र बनने हेतु सभी अनरेटड जमाराशि लेने वाली आस्ति वित्त कंपनियों के लिए 31 मार्च 2016 तक रेटिंग आवश्यकता, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कहलाने के लिए सभी एनबीएफसी-एनडी के लिए 5 बिलियन रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, एवं बैंकों के अनुरूप एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा एनबीएफसी-डी के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में एकरूपता लाना। एनबीएफसी के विनियमन को समय के साथ-साथ गतिविधि-आधारित विनियमन में परिणत करने की दृष्टि से कम जोखिम पृष्ठभूमि वाले एनबीएफसी को सहजता से विनियमित करना सुनिश्चित करते हुए समग्र विनियामकीय रूपरेखा में संशोधन किया गया था।

4.25 इस तरह के हस्तक्षेपों के बावजूद, कई लघु संस्थाओं, संगठित एवं असंगठित, जो विनियामकीय निगरानी के बाहर छाया बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं, की ऋण मध्यस्थीकरण गतिविधियों को विनियामकीय अधिकार-क्षेत्र के दायरे में लाना चुनौती बनी हुई है। रिज़र्व बैंक समय-समय पर अपने आउटरीच, सेनसिटाइजेशन कार्यक्रमों तथा लोक सूचनाओं के जरिए जनता को इस प्रकार की संस्थाओं का शिकार होने से बचने के लिए सेनसिटाइज कर रहा है। अपराधी एवं अनधिकृत संस्थाओं से निपटने के लिए, मई 2014 में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का पुनर्गठन किया गया था जिसमें सक्रिय राज्य स्तरीय हस्तक्षेप के जरिए बाजार बुद्धिमता को नियमित रूप से साझा करना एवं प्रभावकारी समन्वित यथासमय कार्रवाई को सरल बनाना शामिल था।

[5] वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002.